राजस्थान विधान सभा

२०वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–२२ दिसम्बर, सन् १९५५ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–५० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २९४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इसको ले लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष—वे आही जावेंगे । जब आवेंगे तो ले लिया जावेगा । There is sufficient time.

(इसे आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या २९५

त० सरदार शहर (जि० चूरू) के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खन्डों की प्रगति

श्री प्रभुदयाल—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सरदार शहर, जिला चूरू में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कब खुला ?

(ख) अब तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है व क्या क्या कार्य शुरू किए जा चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जिला चूरू तहसील सरदार शहर में दो अक्टूबर, १९५५ से पूर्व प्रसार कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

(ख) अब तक निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है :

१. तहसीलदार कम बी. डी. ओ.

[श्री रामकिशोर व्यास]

२. पांच फील्डमेन ।

३. ग्राम सेवक ।

इन कर्मचारियों ने उक्त क्षेत्र में सामुदायिक योजना प्रशासन के आदेशानुसार निवासियों से संपर्क स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं को मालूम करना प्रारंभ कर दिया है ।

(२) क्षेत्र निवासियों की तकावी के लिये आवश्यकता भी ये लोग मालूम कर रहे हैं ताकि समय पर तकावी दी जा सके ।

(३) हाल है में मुख्य समाज शिक्षा अधिकारी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है और प्रगति को देखा है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों के तबादले दूसरी जगह हो गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—दूसरी जगह उनके तबादले हो गये तो वहां दूसरे आ गये होंगे ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि उनके तबादले दूसरी जगह हो गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा, हो सकता है, उनकी जगह दूसरे चले आए होंगे ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह बात सही है कि वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सर्वे का काम हो रहा है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि सरकार इसको दूसरी जगह ट्रान्सफर करने का विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये ट्रान्सफर एक महीने में कितनी दफे की जाती हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे मालूम नहीं कि एक महीने में हो सकती हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । प्रश्न संख्या २६६ ।

प्रश्न संख्या २६६

चम्बल बैरेज की प्रगति एवं उससे सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होने की अवधि इत्यादि

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) What is the progress of the Chambal Barrage ?

(b) When would water be available for irrigation from the barrage ?

(c) How many miles of canals have been prepared on each flank ?

(d) How many acres of land have been acquired by the Government for the construction of canals ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(अ) चंबल बेराज पर करीब १६ लाख घन फुट चट्टान की कटाई कर दी गई है। यह पथरीला भाग नदी के बायें किनारे है जिस तरफ बाढ़ का पानी निकाला जावेगा। नदी के दाहिने भाग में जहां मिट्टी का बांध बनेगा, पानी की सतह तक नदी में मिट्टी डाल दी गई है और इसके सामने व पीछे पत्थरों की बाड़ दे दी गई है। बेरेज के बायें भाग जिधर से पानी निकलेगा व दायें भाग जहां मिट्टी का बान्ध होगा, के बीच की विशाल दीवार रीटेनिंग वाल (retaining wall)की नींव भी डाल दी गई है और उसे पानी की सतह से काफी ऊंचा ले लिया गया है। इस दीवार को मिट्टी के बान्ध से पूर्णरूप से सम्मिलित करने हेतु दाठेदार दीवार भी काफी ऊंची ले ली गई है।

रिटेनिंग वाल पर अब आगे चुनाई का काम चल रहा है और नदी का बहाव दाईं और से बायें किनारे की ओर करने के लिये भी काम काफी सन्तोषजनक प्रगति पर है।

बैराज के विशाल फाटकों के बन जाने का काम सेन्ट्रल वाटर व पॉवर कमीशन द्वारा तुंगभद्रा कारखाने को सौंपा जा रहा है। काम की प्रगति अति संतोषजनक है और योजना अनुसार सम्पूर्ण होने की पूरी आशा है।

(ब) सिंचाई के हेतु जल सन् १९५८-५९ के शरदकाल में काम में लिया जा सकेगा।

(स) बाईं नहर पर करी ५ मील तक काम हो पाया है व दाईं नहर पर करीब १३ मील तक।

(च) ३५० एकड़।

राज श्री हिम्मतसिंह—इस काम के लिए मशीनरी क्या काफी मौजूद है वहां ?

Scanned by CamScanner

श्री रामनिवास मिर्धा—मशीनरी के लिए आॅर्डर दिया जा चुका है। उसमें से बहुत तो आ चुकी है और बाकी आने वाली है। काम की प्रगति रुक जाय, ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २९७

तहसील सरवाड़ के तालाब मदन सरोवर के विस्तार पर व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सरवाड़ के तालाब मदन सरोवर के एक्सटेन्शन पर कुल कितना खर्चा लगा ?

(ख) उक्त एक्सटेन्शन से कितनी अधिक भूमि सिंचायी योग्य बनायी जा सकेगी ?

(ग) उक्त एक्सटेन्शन से कौन कौन गांव डूब गये और कितनी काश्त की भूमि इस वर्ष डूब गई ?

(घ) गांव वालों को मकान डूबने और जमीन डूबने का कब और क्या मुआवजा दिलाया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) तहसील सरवाड़ के तालाब मदन सरोवर पर कुल ७०,६६२ रु० ३ आने लगे।

(ख) एक्सटेन्शन से १८०० एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचायी योग्य बनाई जा सकेगी।

(ग) उक्त एक्सटेन्शन से केवल भरोखला गांव की २० झोंपड़ियां और १२० बीघा काश्त की भूमि डूब में आ गई है।

(घ) जो मकान डूब में आयेंगे उनका मुआवजा दिया जायगा। जमीन चूंकि पेटे काश्त के लिये निकल जावेगी, उसका मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—अब तक जो मकान डूब गये हैं उनका मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—उनके एस्टीमेट बनाकर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास भेजे जाते हैं, वे ही उनको डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। इसी कारण से देरी हुई है।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—अब कब तक मुआवजा मिल जावेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस साल के खतम होने से पहले।

कु० श्री जसवन्तसिंह्—क्या जब यह एक्सटेन्शन किया गया था तो उस उक्त इस बात को तय नहीं किया गया था कि इतना ज्यादा एक्स्टेन्शन होगा तो उसमें आबादी डूबने की आशंका है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दरअसल गलती यह हुई कि जब एक्स्टेन्शन का काम लिया गया तो कम्पेन्सेशन की जो रकम होनी चाहिए, थी वह निर्धारित की जानी चाहिए जिसको कि अब एक्स्ट्रा ग्रान्ट में रखा गया है। अब मुआवजा मिल जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह्—मेरा सवाल यह नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि जब एक्स्टेन्शन हुआ तो उस वक्त इन्जीनियर्स को यह देखना चाहिए था कि इस एक्स्टेन्शन की वजह से आबादी भी डूब जायगी और जमीन भी पानी में डूब जायगी। जमीन डूब जाती है तो कोई बात नहीं है लेकिन यदि आबादी पानी में डूब जाती है तो यह एक सीरियस बात है। तो क्या इन्जीनियर्स ने सर्वे करते वक्त इस बात की जांच नहीं की क्या कि इस एक्स्टेन्शन की वजह से आबादी पानी में डूब जायगी ?

कु० श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी जांच की गई थी। २० झोंपड़ियां पानी में डूबी हैं। मुआवज़े की कार्यवाही हो रही है। आपका कहना यह ठीक है कि उस वक्त यह बात ध्यान में आयी थी लेकिन प्रोविजन नहीं किया गया था।

श्री जसवन्तसिंह्—मुआवजे का मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि कि क्या इन्जीनियर्स ने गलती की एक्स्टेन्शन करते समय कि इतना ज्यादा एक्स्टेशन कर दिया कि गांव डूब में आ गये ? या तो इन्जीनियर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और ध्यान दिया था तो फिर किस प्रकार यह हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—महज २० झोपड़ियों के डूबने से इतना... (अश्रव्य)

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसानों की इस वक्त खड़ी फसल भी उस डूब में आ गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसानों ने खड़ी फसल डूब जाने की वजह से मुआवजे की मांग की है ?

Page No.6

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो भूमि डूबी है उसमें दूसरी फसल भी काश्त नहीं होगी।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि किसानों की फसल इस डूब में आयी है, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार किसानों को दूसरी भूमि काश्त के लिए दी जाने की आवश्यकता समझती है?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर यह समझते हैं कि पानी में डूब गई है और काश्त की जमीन नहीं है तो आगे ऐसा कर सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—जो फसल डूब में आयगी तो क्या उसका मुआवजा भी देंगे?

श्री अध्यक्ष—रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछिये। श्री कस्तूरचंद।

प्रश्न संख्या २६८

(अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट, १ देखिए)

श्री भैरूं सिंह।

प्रश्न संख्या २६६

अप्रेल १९५४ से अब तक सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाये गए पुलिस अधिकारी

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान पुलिस में अप्रेल, सन् १९५४ से अब तक किन सब-इन्स्पेक्टर्स को इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया?

(ख) क्या जिन जिन की तरक्की की गई है वे सीनियोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है?

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक को सिनियोरिटी के आधार पर किन किन का हक मार कर तरक्की दी गई है?

[श्री भैंरू सिंह]

(घ) क्या यह सही है कि सब इन्सपेक्टर्स को इन्सपेक्टर बनाने के कोई नियम नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) यदि हैं, तो क्या इन तरक्कियों में उन नियमों का पालन नहीं किया गया ?

(च) क्या सरकार ऐसे नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) अप्रेल, सन् १९५४ से ३० सितम्बर, १९५५ तक ३१ सब इन्सपेक्टर्स को ओफिशियेटिंग इन्सपेक्टर बनाया गया। इस सम्बन्ध में सूची 'ए' देखिए।

(ख) जी नहीं। तरक्कियां एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर होती हैं न कि सीनियोरिटी लिस्ट पर।

(ग) उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, यह असत्य है।

(ङ) तरक्की देने के वास्ते जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसका पालन किया गया है।

(च) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भैंरू सिंह—'च' की आवश्यकता क्यों नहीं है। नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने के लिए निवेदन किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऊपर मैंने अर्ज किया कि उनको एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर प्रमोशन दिया गया।

श्री भैंरू सिंह—जिनको तरक्कियां दी गई वे अधिकांश 'सी' लिस्ट के सब इन्सपेक्टर्स है?

श्री रामकिशोर व्यास—वे ए. बी. सी लिस्ट्स में से सिलेक्ट किये गये थे।

श्री भैंरू सिंह—एप्रूव्ड लिस्ट्स से लिये जाने का सरकार के पास क्या आधार है ? किस बेसिस पर उसमें लेती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सीनियोरिटी, मेरिट्स, एफिशियेन्सी, गैलेन्टरी वर्क्स इत्यादि।

Page No.8

श्री भैरूंसिंह—जिन लोगों का हक मारा गया है, जिन लोगों को तरक्की दी गई, कम्परेटिवली वे लोग उनसे सिनियोरिटी में नीचे थे और सरकार ने उनको नहीं माना ?

श्री रामकिशोर व्यास—हक किसी का नहीं मारा गया।

श्री भैरूंसिंह—हक तो यों मारा गया कि जो लोग सीनियर थे उनको तरक्की नहीं देकर जो सीनियर नहीं थे उनको तरक्की दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया था कि केवल सिनियोरिटी ही नहीं देखी जाती है, मेरिट्स, एफिशियेन्सी आदि बातें देखी जाती हैं।

श्री भैरूंसिंह—कुछ ऐसे व्यक्ति रह गये हैं जो सीनियोरिटी और मेरिट्स आदि के आधार पर जिनको प्रोमोशन दिया गया उनसे अच्छे थे लेकिन उनको तरक्की नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनके ओफिसर्स डी. आई. जी. पी ने लिस्ट्स बनायी थीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस सम्बन्ध में कोई रिप्रज़ेन्टेशन्स आये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्डिविजुअल केसेज़ बतावें तो मैं पता लगा कर बता सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह—क्राइटेरिया जबानी है, या लिखित है, या उनकी मर्जी के माफिक क्राइटेरिया बना दिया गया। तो जो क्राइटेरिया है, वह लिखित रूप में है, या जबानी है ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया था, सुना नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी सिनियोरिटी, उनके मेरिट्स, उनकी इफिशियेंन्सी, उनके गेलेन्ट्री वर्क्स सब लिखे हुए होते हैं।

श्री भैरूंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लिखित रूप में क्राइटेरिया है, या ओफिसर जबानी आधार पर निर्धारित करता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—रेकर्डस् में मौजूद हैं। क्राइटेरिया, ऑफिसर्स होते जो हैं वे फिक्स करते हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय आज्ञा जारी की गई है कि इस क्राइटेरिया पर प्रोमोशन दिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास—विभागीय आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने के लिए प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह बतावेंगे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की वजह से वह प्रतिलिपि नहीं रखी जा रही है या किसी खास कारण की वजह से ?

श्री रामकिशोर व्यास—ये तरक्कियां एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर हैं और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि भूतपूर्व आई. जी. पी के जमाने में जो सब इन्स्पेक्टर्स को प्रोमोशन दिया गया था, जिस क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया थे तो क्या इस मौजूदा आई. जी. पी. ने उनको बदल दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह एक अलग प्रश्न है। इसको अलग पूछिये कि क्राइटेरिया है या नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या ऐसी कोई विभागीय आज्ञा है जिसके जरिये कोई क्राइटेरिया बताया गया है ?

श्री अध्यक्ष—बताया न।

श्री भैरूंसिंह—मैंने सरकार के लिए पूछा है।

श्री अध्यक्ष—All abstract questions and answers will not lead anywhere.

श्री भैरूंसिंह—सरकार की तरफ से कोई आज्ञा नहीं थी।

(हंसी)

सरकार की ओर से एप्रूव्ड लिस्ट निश्चित की गई थी।

श्री भैरूंसिंह—तो क्या सरकार यह आवश्यकता नहीं समझती कि कोई आज्ञा या कोई क्राइटेरिया निश्चित होना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास—पहले से तय शुदा है। रिकमन्डेशन्स डी. आई. जी. पी करते हैं।

श्री अध्यक्ष—उनका मेन लक्ष्य है कि क्या कोई ऐसे लिखित रूल्स हैं कि जिनके आधार पर प्रोमोशन होता है ?

Page No.10

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया जो रूल्स हैं।

श्री अध्यक्ष—कोई लिखित नहीं है।

एक माननीय सदस्य—क्या इसको पुलिस गजट में छाया करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—एप्रूवड् लिस्ट माननीय मंत्री महोदय डी. आई. जी के पास भेजते हैं, क्या वही एप्रूव्ड लिस्ट है ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय मंत्री महोदय ने कोई नहीं भेजी। माननीय मंत्री महोदय के आने से पहले ही वह लिस्ट बन चुकी थी।

श्री भैरूंसिंह—लिखित रूल्स नहीं हैं तो किस आधार पर ?

श्री अध्यक्ष—बताया न।

श्री भैरूंसिंह—किस तरह से है ? जब डी. आई. जी.पी. या आई.जी.पी. मुकर्रर होते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है ?

(विराम)

लिस्ट गजट में प्रकाशित न करने के कारण सरकार ने दूसरा कौनसा मार्ग अपनाया है जिनको वह सूचना दे दी जाय कि यह लिस्ट है...

श्री रामकिशोर व्यास—विज्ञप्ति की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों को प्रोमोशन नहीं मिल सका है उनको सूचना के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको सूचना नहीं दी जाती।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार एप्रूव्ड लिस्ट को गजट में छाया करना आवश्यक नहीं समझती ताकि उन लोगों को भी पता चल जाय जिनका नाम एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आया है।

श्री रामकिशोर व्यास—गजट में छाया नहीं कराई जाती।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह—मेरा यह प्रश्न है कि यह आवश्यक क्यों नहीं समझती ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार पब्लिश कराया जाय।

श्री भैरोंसिंह—क्या उन लोगों का, जिनका कि हक मारा गया हो उनको सूचना देने के लिये, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या एप्रूव्ड लिस्ट को सरकार गजट में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझती ?

रामकिशोर व्यास—जी नहीं समझती।

श्री अध्यक्ष—It is not convenient to do so.

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—Is is not necessary in the interest of efficiency that the rules which govern promotions should be known to those whose promotions they govern ?

श्री रामकिशोर व्यास—I have read before the House.

श्री कंवरलाल जेलिया—यह कैसे विश्वास किया जा सकता है, नियमों का पालन होता ही है जब कि लिखित में कोई नियम ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३००

अराई तहसील में सिंचाई विभाग के गिरदावरों को वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अराई तहसील में सिंचाई विभाग में कौन कौन गिरदावर है ?

(ख) किन किन गिरदावरों को कितने समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है ?

(ग) उक्त गिरदावरों को तनख्वाह नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) अराई तहसील में सिंचाई विभाग में केवल श्री समन्दरसिंह गिरदावर हैं।

(ख) श्री समन्दरसिंह की तनख्वाह मार्च, ५५ से नहीं मिली है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ग) ता६.३.५५ को उक्त गिरदावर बिना छुट्टी मन्जूर कराये रुखसत पर चला गया और उसके बाद ता ५-६-५५ तक वह बिना इजाज़त छुट्टी पर ही रहा, इस बिना मंजूरी की छुट्टी का फैसला न होने की वजह से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है।

श्री चांदमल मेहता—यह फैसला कितने समय में होगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी जॉच की जा रही है, वे वगैर छुट्टी लिये चले गये थे और बाद में समय समय पर मेडिकल सर्टिफिकेट भेजते रहे; उसकी भी जांच कर रहे हैं। वे सही थे या नहीं, उसके बाद फैसला जल्दी कर दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—उनकी अदम मौजूदगी में कौन काम कर रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मैं नहीं कह सकता।

श्री सन्तोषसिंह—जब मार्च से तनख्वाह नहीं मिली

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३०१

किशनगढ़ से सांभर तक मोटर बसेज़ चलाने के परमिट

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ से सांभर कितनी गाडियों को चलाने के परमिट दिये गये है ?

(ख) उक्त परमिट किन किन व्यक्तियों को किस किस रुट से चलाने के लिये कब कब दिये गये हैं ?

(ग) क्या उक्त व्यक्तियों ने गाडियां चालू कर दी हैं ?

(घ) यदि हां, तो कब ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—(क) दो गाडियों को।

	रूट	तारीख
(ख) श्री वली मोहम्मद बाबू खां।	किशनगढ़, पाटन, सांभर,	६. ७. ५४
श्री मूलचन्द शर्मा	किशनगढ़, पाटन, सांभर,	२. १०. ५४

(ग) जी हां।

(घ) परमिट प्राप्त करने के बाद ही गाड़ियां चालू कर दी गई थीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनमें से एक भी गाडी चालू नहीं हुई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, इस वक्त कोई गाड़ी नहीं चल रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आज्ञा देने के बाद भी कोई गाड़ी चालू नहीं हुई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसीलिये तो उसका परमिट केन्सिल कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या जो दो गाड़ियां बताई गईं वे चालू हो गई थीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—एक बार चालू हो गई थीं, बारिस के बाद रुक गई थीं; बाद में नही चलाई गईं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन लोगों ने टेक्स जमा करा दिया था उसके बाद इनका परमिट केन्सिल हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस बारे में जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—परमिट केन्सिल होने की हालत में क्या उनको टेक्स की रकम वापिस कर दी जायगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जैसे रूल्स होंगे उसके मुताबिक किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सांभर और किशनगढ़ के बीच कोई गाड़ी नहीं चल रही है ?

Page No.14

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सही है।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर दूसरे रूट से चालू करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आर० टी० ए० चालू कर सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लोगों को इजाजत दी गई थी उसके बारे में किशनगढ़ की जनता ने यह मांग की थी कि दूदू होकर किशनगढ़ से सांभर तक चलाने के लिये इजाजत दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—But that is the concern of the R. T. A. and not of the Government. We allow certain questions for the information of the Members but that does not mean that the Government is functioning for the R. T. A.

प्रश्न संख्या ३०२

राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री हादी की सुरक्षा हेतु शासकीय आज्ञा

श्री हिम्मतसिंह—Will the Home Minister be pleased to state:-

(a) Is it true that the life of shri Hadee, a M. L- A., is in danger ?

(b) What arrangements have the Government made to protect the life of the Member of the Assembly ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) इनकी जान को खतरा होने की संभावना है।

(उत्तर अनुपलब्ध)

श्री अध्यक्ष—Shri Hadee is there (in the House).

श्री हिम्मतसिंह—यह संभावना किस तरह से पैदा हुई।

श्री रामकिशोर व्यास—इनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं।

श्री भैंरूसिंह (१६)—बलवन्तसिंह से अच्छे नहीं हैं या और किसी से ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां दो ग्रूप हैं, दूसरी तरफ बलवन्तसिंह हैं।

श्री भैंरूसिंह—बलवन्तसिंह से उनके रिलेशन खराब होने के क्या कारण हैं ?

Page No.15

श्री रामकिशोर व्यास—यह उन्हीं से पूछिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो सरकार को यह कैसे मालूम पड़ा कि उनके रिलेशन खराब हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—इसको गांव वाले सब जानते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बलवन्तसिंह से कोन्टेक्ट करने का क्या जरिया है?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि श्री हादी को अपनी जान का खतरा है इसलिये इनके साथ भी पुलिस गॉर्ड का प्रबन्ध किया जाय।

श्री राममिशोर व्यास—इस सम्बन्ध में अलग से सोचा जा सकता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जो पुलिस चौकी या गार्ड उनके गांव पर कयम की गई है उसमें पुलिस की संख्या कितनी है?

श्री रामकिशोर व्यास—नम्बर तो मैं ठीक से नहीं बता सकता।

श्री भैरूसिंह—श्री हादी को अपनी जान का खतरा है, यह सूचना आपको किससे मिली?

श्री रामकिशोर व्यास—आप भी उनके गांव में जाइये, आपको भी पता चल जायगा।

श्री भैंरूसिंह—सरकार के किस अधिकारी द्वारा यह सूचना मिली कि श्री हादी की जान को खतरा है, इसलिये पुलिस गार्ड का प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामकिशोर व्याय—उसका नाम बताना उचित नहीं होगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि वाकई में उनके आपसी रिलेशन खराब हैं।

श्री प्रभुदयाल—क्या डाकू बलवन्तसिंह ने पहले भी सरेन्डर किया था?

श्री हिम्मतसिंह-क्या श्री हादी ने स्वयं ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि उनकी जान को खतरा है अतः उसके लिये पुलिस का इन्तजाम कर दिया जाय?

श्री रामकिशोर व्यास—श्री हादी मुझसे एक बार मिले थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था।

श्री प्रभुदयाल—क्या बलवन्तसिंह ने पहले भी सरेन्डर किया था और किसके सामने?

श्री अध्यक्ष—ये दो बार इस प्रश्न को पूछ चुके।

श्री भैंरूसिंह—जब श्री हादी ने कोई दरखास्त नहीं दी तो उनके गांव में उनकी रक्षा के लिये गार्ड रखना क्यों आवश्यक समझा?

श्री रामकिशोर व्यास—वैसे हमारा भी फर्ज था कि, श्री हादी मुझसे एक बार मिले थे उन्होंने कहा कि उधर पुलिस की सख्त जरूरत है; हमने उसका इन्तजाम कर दिया।

श्री भैंरूसिंह—आपने श्री हादी के कहने के अनुसार पुलिस फोर्स रखी है या इसकी जांच कराई थी?

श्री रामकिशोर व्यास—आप कहें तो आपके लिये भी इन्तजाम किया जा सकता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—सरकार द्वारा जो पुलिस चौकी कायम की गई है उसका खर्चा सरकार देती है या श्री हादी?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार।

कु० श्री जसवन्तसिंह—श्री हादी अब कहां है?

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि श्री हादी जब जयपुर में रहते हैं उनके मकान पर कोई गार्ड नहीं रहती?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हादी साहब के लिये खास कोई गार्ड का इन्तजाम नहीं किया गया है, वह सिर्फ गांव वालों की हिफाजत के लिये किया गया है, किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं।

श्री प्रभुदयाल—बलवन्तसिंह ने पहले सरेन्डर किया था क्या?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां तक मुझे ख्याल है, किया था।

श्री प्रभुदयाल—क्या वह पहले डाका डालते थे।

श्री सन्तोषसिंह—उस चौकी में क्या, ५० से ज्यादा पुलिसमेन रखे गये हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो हवा में प्रश्न हुआ।

प्रश्न संख्या ३०३

अराई तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाडे तुड़वाने हेतु शासकीय आज्ञा

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अराई तहसील में किन किन व्यक्तियों के नाडे तुड़ाने की आज्ञा चालू वर्ष में सिंचाई विभाग द्वारा दी गई है ?

(ख) उक्त नाडे कितने कितने वर्षों से बने हुए हैं ?

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नाडे तुड़ाने की आज्ञा इकतरफा दी गई है ?

(घ) उक्त नाडे तुड़ाने की आज्ञा किन किन अधिकारियों द्वारा किन किन कारणों से दी गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) तहसील अराई में चालू वर्ष में किसी भी व्यक्ति के नाडे को तुड़वाने की आज्ञा सिंचाई विभाग द्वारा नहीं दी गई ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके जवाब को चेलेन्ज करता हूं, बगैर किसी पार्टी को इत्तला दिये वहां नाडे तुड़वाये गये ?

रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, अराई का एक शिवराज पटवारी का केस है जिसको इस साल नोटिस इश्यू नहीं किया गया । इनका पुराना केस चल रहा है, जिनको पहले नोटिस दिया गया, पुराना नोटिस है, नया नहीं है इसलिये इसकी दुबारा जांच करने के लिये रेवेन्यू अधिकारियों के पास भेजा गया है ।

श्री चांदमल मेहता—जिस नाडे को तुड़ाने के बारे में माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, जिस वक्त नाडा तुड़ाया गया, उसकी बात सुनने के पहले ही आज्ञा दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—इस नाडे को तुड़ाने की आज्ञा कब दी गई ?

Page No.18

श्री रामनिवास मिर्धा—इस साल नहीं दी गई।

श्री प्रभुदयाल—यह नाडा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पानी के जो छोटे छोटे बन्ध बना लिये जाते हैं उनको नाडा कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३०४

नवम्बर, ५३ के पश्चात् राजस्थान विधान सभा व लोक सभा के चुनावों में व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ नवम्बर, सन् १९५३ के बाद राजस्थान में विधान सभा व लोक सभा के कुल कितने उप-चुनाव हुये ?

(ख) प्रत्येक उप-चुनाव में कितना कितना खर्चा हुआ ?

(ग) किस किस उपचुनाव का कितना कितना रुपया अभी तक पेमेन्ट होना बाकी है ?

(घ) उक्त पेमेन्ट अभी तक नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रश्न बिना टर्न के आ गया है। इसलिये अगली टर्न पर इसका जवाब दे दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ३०५

अप्रैल १९५४ से कुछ डी. एस. पीज़. को इन्सपेक्टर पद पर रिवर्ट करना

श्री भैरोंसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अप्रेल, सन् १९५४ से अब तक किन किन डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इन्सपेक्टर के पद पर रिवर्ट किया गया ?

(ख) इनके रिवर्ट करने के क्या कारण थे ? प्रत्येक के अलहदा अलहदा बताये जावें।

[श्री भैरोंसिंह]

(ग) रिवर्ट किये गये किन किन ऐसे अधिकारियों को फिर उसी स्थान पर नियुक्त किया गया और क्यों ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं और उन नियमों का पालन हुआ या नहीं ?

(ङ) क्या सरकार ऐसे नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)— (क) राजस्थान में अप्रेल, सन् १९५४ से अब ६। १२। ५५ तक किसी स्थायी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस को इन्सपेक्टर पुलिस के पद पर रिवर्ट नहीं किया गया किन्तु २० ऑफिशियेटिंग डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ऑफ पुलिस को उनके स्थायी पद इन्सपेक्टर पुलिस पर रिवर्ट किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री आई डी पन्त	२. श्री दुर्गापाल सिंह	३. श्री लक्ष्मी कान्त
४. श्री मुराद खां	५. श्री बशीर अहमद	६. श्री हीरालाल
७. श्री पोकरदास	८. श्री गुमानसिंह	९. श्री उम्मेदसिंह
१०. श्री सवाई सिंह	११. श्री फतहलाल	१२. श्री मानसिंह
१३. श्री शमशेरसिंह	१४. श्री दीनदयाल	१५. श्री धनसिंह
१६. श्री लक्ष्मीलाल	१७. श्री कुबेरदान	१८. श्री कनकमल
१९. श्री कुशालसिंह	२०. श्री मगनलाल	

(ख) उनके रिवर्ट किये जाने का कारण इस प्रकार है :

१. श्री आई डी पन्त, २. श्री दुर्गापाल, ३. श्री लक्ष्मी कान्त सरकार के आज्ञा पत्र अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के नम्बर एफ ४। ८ अपोइन्टमेन्ट। ५४ तारीख १४। १५. ४. ५५ के अनुपालन में रिवर्ट किये गये। चूंकि नियम १५, राजस्थान पुलिस सर्विस, के अन्तर्गत ६ वर्ष की सर्विस राजस्थान पुलिस में तारीख १. १. ५५ तक नहीं हो पाई थी।

१. श्री मुराद खां, २. श्री बशीर अहमद, ३. श्री हीरालाल, ४. श्री पोकरदास ५. श्री गुमानसिंह, ६. श्री उम्मेदसिंह, ७. श्री सवाईसिंह २, ८. श्री फतहलाल ६. श्री मानसिंह; ये अफसरान एप्रूव्ड लिस्ट, इन्सपेक्टरान वास्ते तरक्की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तैयार की गई थी, पर नहीं हैं ।

१. श्री शमशेरसिंह, २. श्री दीनदयाल, ३. श्री धनसिंह, ४. श्री लक्ष्मीलाल, ५. श्री कुबेरदान, ६. श्री कनकमल, ७. श्री कुशालसिंह और ८. श्री मगनलाल ओवर एज और जूनियर होने के कारण सब रूल ३ रूल २ राजस्थान पुलिस सर्विस रूल्स के अनुसार रिवर्ट किये गये।

[श्री रामकिशोर व्यास]

इनमें सीनियर अफसरों के लिये जगह करने के हेतु भी रिवर्ट किया गया है । इन्हें इनकी टर्न के अनुसार पुनः तरक्की दी जावेगी ।

(ग) रिवर्ट किये गये अधिकारियों में से पांच को जिनके नाम श्री ईश्वर दत्त पन्त, श्री सवाई सिंह २, श्री दुर्गपालसिंह, श्री उम्मेदसिंह और श्री मानसिंह हैं पुनः उनके द्वारा सरकार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार की आज्ञा के पालन में पुनः उसी स्थान पर नियुक्त किया गया ।

कारण उनके ये हैं । श्री ईश्वर दत्त पन्त, श्री सवाई सिंह, श्री दुर्गपालसिंह, श्री उम्मेद सिंह ने सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया था, उनके रिप्रेजेन्टेशन एक्सेप्ट हुए । उन्होंने अपील की थी इसलिये सरकार की आज्ञानुसार उन्हें दुबारा प्रोमोशन दिया गया और मानसिंह जो हैं उन्होंने डाकू विरोधी फोर्स में अच्छा काम किया था इसलिये उन्हें फिर से प्रोमोशन दिया गया ।

(घ) स्थायी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस का रिवर्शन राजस्थान गवर्नमेंन्ट सरवेन्ट क्लासिफिकेशन कांट्रोल एण्ड अपील रूल्स, १९५० के आधार पर और आफिशियेटिंग डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस का रिवर्शन राजस्थान पुलिस सर्विस रूल्स जो राजस्थान के असाधारण राजपत्र संख्या ६ अंक ६० ता० ३०. ६. ५४ में प्रकाशित हुए हैं, के आधार पर किया जाता है ।

(ङ) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को रिवर्शन के बाद में प्रोमोशन दिया गया उनके रिवर्शन के समय जो खामियां थीं उनको दूर हुआ समझा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया है कि पांच आदमी हैं ऐसे । उनकी अपीलें आईं और उनको एक्सेप्ट करने के कारण उनको प्रोमोशन दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह—जिनका रिवर्शन किया गया था और बाद में प्रोमोशन दिया उनको रिवर्ट इस वजह से किया गया था कि उनमें इस बात की कमी थी कि उनकी ६ साल की सर्विस में २ साल की कमी थी ।

श्री अध्यक्ष—क्या था और क्या नहीं था, यह तो इन्डिविजुअली आप पूछें किसी खास के बारे में तो पता चले ।

श्री भैरोंसिंह—वही तो मैं पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पांचों के ही बारे में पूछना चाहता हूं कि जब उनकी ६ साल की सर्विस नहीं थी और सात साल के होते हुए भी फिर

[श्री भैरोंसिंह]

प्रोमोशन दे दिया गया तो इसका क्या कारण था। क्या इसके लिए इस रूल में रिलेक्सेशन किया गया या उनकी ९ साल की सर्विस मान ली गई।

श्री रामकिशोर व्यास—अपील थी, मैंने अभी अर्ज किया न। उनकी उसमें दो साल की सर्विस कम्पलीट हुई मानी गई। इसमें उनकी सर्विस को काउन्ट करने में इन्टरप्रीटेशन का सवाल था और इस लिहाज से वह पीरियड काउन्ट करने का सवाल था।

श्री भैरोंसिंह—मेरा प्रश्न सीधा है माननीय अध्यक्ष, जो इस उत्तर से स्पष्ट नहीं हुआ है। जिनको ९ साल की सर्विस कम्पलीट नहीं होने से रिवर्ट किया गया तो क्या वापिस प्रोमोशन देते समय तक उनकी ९साल की सर्विस कम्पलीट हो गई ? या आपने सरकार के इस रूल में कोई परिवर्तन किया है, या इनके मामले में इस रूल को रिलेक्स कर दिया है, यह साफ उत्तर हां या ना में मैं चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ केसेज़ में ऐसा माना है...

श्री भैरोंसिंह—कुछ केसेज़ में नहीं, मैं तो इन पर्टिकूलर पांच आदमियों के केसेज़ में जानना चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया न आपको कि इनकी सर्विस काउन्ट करने में इन्टरप्रीटेशन का सवाल था, उनकी अपील आई और वह स्वीकृत हुई। इसको पी. एस. सी. ने भी माना है।

श्री भैरोंसिंह—किन किन आदमियों के लिये ऐसा माना है कि उनकी नौ साल की सर्विस कम्पलीट हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग का तो मुझे खयाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—जिन पांच को प्रोमोशन दिया गया उनकी ९ साल की सर्विस क्या पूरी हो गई और उनका रिवर्शन गलत था इसलिए उनको प्रोमोशन पर फिर से बहाल किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं खुद ही यह कह रहा हूं कि इन्टरप्रीटेशन का सवाल था।

श्री भैरोंसिंह—तो मेरा स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देते कि उनकी ९ साल की सर्विस कम्पलीट हो गई ? इसको सरकार ने माना या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मुझे खयाल नहीं, पर कुछ केसेज़ में बाद में माना गया है।

Page No.22

श्री अध्यक्ष—आप जिन केसेज के लिए या केस के लिए पूछना चाहते हैं, उसके लिए पूछ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह—यही तो मैं पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन पांच में से किन किन व्यक्तियों के लिए सरकार ने ऐसा माना है कि इनकी ९ साल की सर्विस कम्पलीट हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया तो है आपको कि इनमें से तीन नाम ऐसे हैं कि जिनकी सर्विस के काउन्ट करने में इन्टरप्रीटेशन का झगड़ा था, उनकी अपील आई और उसे सरकार ने स्वीकार किया और पी. एस. सी. ने भी उसे माना और एक केस ऐसा था जिसकी सीनियोरिटी फिक्सड नहीं थी और एक केस की भी कुछ ऐसी ही बात थी। उसने डकैती विरोधी कार्य में बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उसको वापिस तरक्की दी गई ।

श्री भैरोंसिंह—जिनकी ६ साल की सर्विस मानी गई उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्डिविजुअली, मैंने अर्ज नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—Ulimately that will come before the House. The Public Service Commission Report will be laid before the House.

श्री रामकिशोर व्यास—कन्फमेंशन नहीं है डिटेल्स का ।

श्री भैरोंसिंह—पर अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। इस बारे में मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री किशनलाल शाह—अपील इन पांच आदमियों की ही आई या और भी लोगों की आई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्हीं की थी ।

श्री भैरोंसिंह—जिनको और पदों का प्रमोशन दिया गया उनके लिए पी. एस. सी. की राय ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—अब तो नियम बना लिये हैं। इन्सपेक्टरों की एक लिस्ट पी. एस. सी. से एप्रूव्ड करा ली है। इसी में से अब अपोइन्ट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह—जिनको रिवर्ट किया गया उनका क्वेश्चन पी. एस. सी. में भेजा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जरूरत नहीं थी।

प्रश्न संख्या ३०६

पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषिमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही कि वैटरनरी विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है?

(ख) यदि हां, तो क्यों।

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) गजटेड स्टाफ, कम्पाउन्डर्स, स्टोकमैन व ड्रेसर्स का तो स्थायी फिक्सेशन हो चुका है। लाइव स्टोक इन्सपेक्टरों की लिस्ट स्थायी फिक्सेशन के लिए पी. एस. सी. के पास भेज दी गई है। द्वितीय श्रेणी के वेटरनरी असिस्टेन्ट सरजनों का एवं लाइव स्टोक इन्सपेक्टरों का फिक्सेशन अस्थायी हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३०७

सन् १९५५ के वर्ष में जैसलमेर में अनाज का वितरण

श्री हनवन्तसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

सन् १९५५ के वर्ष में जिला जैसलमेर में कितना बीज का अनाज वितरित किया गया?

श्री रामनिवास मिर्धा—गेहूं नम्बर सी० ५९१, १५० मन वितरित किया गया।

श्री हनवन्तसिंह—इतनी कम तादाद में करने का क्या कारण?

श्री अध्यक्ष—आगे ज्यादा कर दिया जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जैसलमेर जिसका १६ हजार स्क्वेयर माइल का एरिया है, उसमें केवल १५० मन गेहूं देने का क्या कारण है?

श्री रामनिवास मिर्धा—इससे ज्यादा की वहां मांग नहीं थी।

श्री हनवन्तसिंह—मांग जरूर थी।

Page No.24

कु० श्री जसवन्तसिंह— यहां बैठे मांग कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—वहां बैठकर मांगना चाहिए था।

प्रश्न संख्या ३०८

पार्वती बांध की नहर का निर्माण तथा उस बांध एवं नहर के अन्तर्गत आई हुई भूमि का मुआवजा

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पार्वती बांध की नहर का निर्माण पूरा हो चुका है ? अगर नहीं, तो कब तक हो जायगा ?

(ख) क्या जो भूमि पार्वती बांध तथा नहर में आ गई है उसके सम्बन्ध में मुआवजा दिये जाने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो कब तक बनने की आशा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) पार्वती बांध की मेन नहर की लम्बाई ३५मील है। सैंदड़ ब्रान्च की लम्बाई १७ मील है और बसेडी ब्रान्च की लम्बाई १० मील है। इसके अलावा करीब ४० माइनर हैं जिनकी कुल लम्बाई ६५ मील के करीब है। उपरोक्त नहरों का मिट्टी का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और पक्का काम मार्च १६५६ तक पूरा हो जावेगा।

(ख) बंध के बजट में भूमि और मकानात जो बंध के बनने से डूब में आवेंगे अथवा नहर के निकालने में आवेंगे उनके मुआवजे के लिये करीब दो लाख रुपये की स्वीकृति है। ऐसे मकानात अथवा जमीन के नक्शे बन रहे हैं और जिनकी स्वीकृति रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आने पर मुआविजा तकसीम किया जावेगा।

श्री हंसराज जटिया—क्या यह कार्य अवधि के अंदर समाप्त हो जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह इस साल खत्म नहीं होगा। नहर का काम मार्च ५६ तक होगा और अगली वर्षा से पहले मुआवजा तकसीम कर दिया जायगा।

श्री शंभूसिंह—यह बांध किस जिले में बनाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह भी नहीं मालूम है क्या ? भरतपुर में बनाया जा रहा है।

श्री शंभूसिंह— क्या इससे मध्य भारत में भी सिंचाई होगी ?

श्री अध्यक्ष—भरतपुर और मध्यभारत का क्या संबन्ध ? नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ३०६

सवाई माधोपुर जिले में किशनगढ़ (जि० जयपुर) के हैड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल्स

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर जिले में पुलिस में ऐसे कौन कौन हैड कांस्टेबल्स और कॉन्सटेबल्स है जो किशनगढ़, जिला जयपुर के रहनेवाले हैं ?

(ख) सवाई माधोपुर जिले के रहनेवाले जयपुर जिले में कितने हैड कॉन्सटेबल्स और कॉन्सटेबल्स है ?

(ग) उक्त कर्मचारियों के होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर करने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री)-(क) हैड कान्सटेबिल सर्व श्री जौरावरसिंह एवं मोतीसिंह तथा कान्सटेबल श्री किशनचंद्र जिला किशनगढ के रहनेवाले हैं ।

(ख) ३ हैड कांस्टेबल तथा ३० कान्सटेबल्स ।

(ग) इनमें से एक को होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर उसकी प्रार्थना पर तथा ३ का प्रशासनिक कारणों से ट्रान्सफर किया गया । बाकी २६ को जिस जगह उनको भरती किया गया था वहीं पोस्ट किया हुआ है ।

हैड कॉन्सटेबिल्स तथा कॉन्सटेबल्स को उनके निजि जिलों में ही, जब भी तथा। जैसे भी स्थान रिक्त होते हैं वेसे ही स्थानान्तर करने की नीति बरती जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि २५० रुपयों से कम तनख्वाह के कर्मचारियों को होम डिस्ट्रिक्ट्स से बाहर ट्रान्सफर नहीं करने का ऑर्डर है ?

श्री रामकिशोर व्यास— मैंने कहा कि जैसे जैसे स्थान रिक्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर्स करदी जाती है ।

प्रश्न संख्या ३१०

कस्बा बाडी (धोलपुर) में भारत सरकार द्वारा भेजे हुए प्रदर्शन प्रयोजनार्थ फर्टीलाइजर्स

श्री हंसराज जटिया—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

[श्री हंसराज जटिया]

(क) क्या यह सत्य है कि कस्बा बाडी, धौलपुर सब डिविज़न में भारत सरकार द्वारा भेजा हुआ फ्री २ वैगन फर्टीलाइजर फोर डिमोन्स्ट्रेशन परपज किसानों में वितरित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो मुफ्त तौर पर कितने किसानों को वितरित किया गया है व कितने किसानों ने कीमतन और खरीदा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) हां, ।

(ख) २६ किसानों को डिमोन्स्ट्रेशन के लिए मुफ्त वितरित किया गया। उत्साहित होकर छ. किसानों ने कीमतन खरीदा।

प्रश्न संख्या ३११

राजस्थान में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स एवं बीकानेर में राठी नस्ल की गायों हेतु फार्म की स्थापना

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में कहां कहां कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं और कहां कहां और कौन कौन सी नस्ल का ब्रिडिंग वहां होता है ?

(ख) क्या यह सही है कि बीकानेर की राठी नस्ल की गायें राजस्थान में सबसे ज्यादा दुधारू होती हैं ?

(ग) अगर हां, तो क्या सरकार बीकानेर में भी फार्म खोलने का विचार रखती है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) राजस्थान में अलवर, बस्सी और नागौर में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है और यहां क्रमशः मेवाती, हरियाना और नागौर नस्ल के पशु हैं।

(ख) नहीं। राठी नस्ल की गायें अच्छी दुधारू जरूर होती हैं।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक डेरी फार्म, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, के साथ खोलने का विचार है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(घ) हां। सन् १९५६-५७ तक।

प्रश्न संख्या ३१२

तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में बाघण नदी के बांध का निर्माण

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में बाघण नदी के बांध का निर्माण हो रहा है?

(ख) यदि हां, तो उसके बांध से कितनी बीघा जमीन पीवत होगी?

(ग) उसके पेटे में कौन कौन से ग्राम व कितने काश्तकारों की कितनी कितनी जमीन डूब में आवेगी तथा उनका मुआवजा किन आधारों पर एवं कब तक मिल जावेगा?

(घ) क्या इस बांध की योजना में कोई परिवर्तन किया जायगा; अगर हां, तो क्या?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) नहीं, अभी निर्माण नहीं हो रहा है।

(ख) यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

(ग) अभी इस योजना का अनुमान बनाया जा रहा है, इसलिये पक्का नहीं कहा जा सकता कि कितनी भूमि पेटे में आवेगी। जो कोई भूमि या जायदाद डूबेगी उसका मुआवजा दे दिया जाता है।

(घ) यह प्रश्न अभी नहीं उठता?

श्री जयचन्द्र मोहिल—इसका निर्माण कब होगा?

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी इसका सरवे हो रहा है। यदि सरवे की रिपोर्ट एप्रूव हुई तो अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जायगा।

श्री प्रभुदयाल—यह सरवे कब तक हो जायगा?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस साल के अन्त से पहले।

श्री भैरूसिंह केलवा—यहां तालाब है भी या नहीं?

श्री रामनिवास मिर्धा—हमारी लिस्ट में तो नहीं है।

प्रश्न संख्या ३१४

राजस्थान पशु चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रों व उप-क्षेत्रों में विभाजन

श्री शम्भुसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पशु चिकित्सा की दृष्टि से कितने क्षेत्रों व उप क्षेत्रों में विभाजित है और वहां के अधिकारी किस किस पद पर उपभोग कर रहे हैं ?

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय, तथा औषधालय कहां कहां हैं और वहां क्या स्टाफ है ?

(ग) पशु चिकित्सालय व औषधालयों का क्या बजट है और क्या स्थानीय आवश्यकता के लिये वह काफी है ?

(घ) इस समय पशुओं में रोग, खासकर उदयपुर डिविजन में, कहां कहां फैला हुआ है, और उसकी रोक थाम के लिये और रोगी पशुओं के चिकित्सा के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

(ङ) क्या यह सही है कि समय पर पशुओं की बीमारी रोकने का प्रबन्ध और चिकित्सा न हो पाने से अनेक पशु मर गये जिनमें हल चलाने वाले बैल भी थे ?

[च] क्या सरकार विशेष दवाइयें व अन्य स्टाफ नियुक्त कर शीघ्रतिशीघ्र राहत पहुँचाने का प्रबन्ध करेगी व जिन अधिकारयों की गफलत से पशुओं की हानि हुई उनसे जवाब तलब करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) राजस्थान पशु चिकित्सा की दृष्टि से दो क्षेत्र एवं १५ उप क्षेत्रों में विभाजित है और यहां के अधिकारी क्रमशः डिवीजनल वेटरनरी ओफिसर एवं डिस्ट्रिक्ट ओफिसर कहलाते हैं।

(ख) इसकी सूचना संलग्न तालिका में हैं। संलग्न तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। (कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

(ग) पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों के औषधियों का बजट एक लाख रुपया है। यह स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये काफी नहीं समझी जाती परन्तु अर्थाभाव के कारण इससे ज्यादा देना सम्भव नहीं है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(घ) उदयपुर डिविजन में इस समय राजसमन्द, कुम्भलगढा, लखारडिया, भीम, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, कपासिन, प्रतापगढ़, बेगू, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, गंगापुर एवं जहाजपुर तहसीलों में पशुओं में रोग फैला हुआ है। बीमारी के रोकथाम के लिये संबंधित पशु चिकित्सा जिला अधिकारियों ने समय पर गांवों में पहुँच कर, रोकथाम के टीके लगाकर बीमारी को बढ़ने से रोका है। इस डिविजन में जो स्थायी स्टाफ काम कर रहा है उसके अतिरिक्त ३४ और आदमियों को दूसरे डिविजनों से बुला लिया गया है और बीमारी के रोकथाम के कार्य पर लगा दिया गया है। इस डिविजन के लिये ६ जीप गाड़ियों को किराये पर लेकर प्रबन्ध किया गया है और इनको उदयपुर, चितौडगढ, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में रोग निरोधक टीके लगाने भेज दिया गया है। विशेष छूतदार बीमारियों की चिकित्सा के लिये बहुमूल्य औषधियां खरीद कर पहुँचा दी गई हैं। वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से पैथोलोजिस्ट को बुलवा लिया गया है और टीके तैयार करने के लिये उसको उदयपुर ही रखा गया है। निरोधक टीके काफी तादाद में तार द्वारा इज्जतनगर से मंगवा लिये गये हैं।

(ङ) यह सच नहीं है। यह हो सकता है कि समय पर कार्यालय में सूचना प्राप्त न होने से कुछ पशु मर गये हों जिनमें हल चलाने वाले बैल भी हों।

(च) समूचा प्रबन्ध कर दिया गया है, अतएव प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शम्भूसिंह—सरकार यह स्वीकार करती है कि अर्थाभाव के कारण ज्यादा व्यय नहीं कर सकते, जब कि सरकार ने कई कार्यों में, जैसे चितौड़ में गाड़िया लोहारों को इधर उधर घुमाने आदि में काफी खर्च किया है; फिर अर्थाभाव कैसे हुआ ?

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार के पास मूवेबल डिस्पेन्सरीज़ खोलने की स्कीम है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, है।

श्री प्रभुदयाल—कितनी खोली गई हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पहली पंचवर्षीय योजना में ६ खोलने की व्यवस्था है, जिनमें से ३ खोलने की कार्यवाही चल रही है और बकाया फिर खोली जायेंगी।

श्री प्रभुदयाल—अब तक नहीं खोलने में कौन से डिपार्टमेंट की ढिलाई है ? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी ?

श्री शम्भूसिंह—क्या मांडल और रायपुर तहसीलों में रोग नहीं फैला ?

Page No.30

श्री प्रभुदयाल—यह ढिलाई कौनसे डिपार्टमेन्ट की है, यह नहीं बताया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जो जानकारी मेरे पास थी वह मैंने बता दी।

श्री शम्भूसिंह—यह जानकारी प्राप्त करने का काम किसका है, अभी तक जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की गई ?

श्री अध्यक्ष—यह नया सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सच है कि पशु चिकित्सालयों में आदमियों का भी इलाज होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जो पशुओं की केटेगरी में आते हैं उनका किया जाता है।

(हंसी)

श्री प्रभुदयाल—कौनसा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है अस्पताल नहीं खोलने के लिये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसमें देर अवश्य हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही खोलेंगे।

श्री सोहनलाल—क्या सभी तहसीलों में एक ही बीमारी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दो तीन तरह की है।

श्री सोहनलाल—कौन कौन सी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार भविष्य में ढिलाई दूर करने की कोशिश करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जरूर।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार मंजूर करती है कि ढिलाई है ?

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि चुरू जिले में पशुओं में बिमारी है ?

श्री अध्यक्ष—उदयपुर से चुरू बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३२५

तहसील निवाई [जिला टोंक] में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जोधपुरिया मांवसी बंध का निर्माण

श्री लाल्लूराम —क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला टोंक, तहसील निवाई में जोधपुरिया मांवसी बंध बनाया जा रहा है ?

(ख) क्या वह इसी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जावेगा ?

(ग) इस बंध का कार्य धीमी रफ्तार से क्यों चलाया जा रहा है ?

(घ) इस बंध के निर्माण में कितनी राशि का तखमींना है और इसके बनाने में कितना समय और लगेगा ?

(ङ) क्या अब इस बंध को शीघ्र ही पूरा कर दिया जावेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) जिला टोंक तहसील निवाई में मांवसी (जोधपुरिया) बन्ध ७ अप्रेल, १९५५ से बनाया जा रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रत्येक बड़े कार्य की रफ्तार शुरू में धीमी ही होती है और अब इस कार्य की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की जा रही है।

(घ) इस बन्ध का तखमीना साढ़े बाईस लाख रुपया है और इसके बनने में अनुमानित ड़ेढ साल और लगेगा।

(ङ) हां। शीघ्र पूरा किया जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री लल्लूराम—इससे कितनी सिंचाई होगी ?

श्री अध्यक्ष—कमान्डेड एरिया कितना है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह अलग प्रश्न है।

Page No.32

प्रश्न संख्या ३१६

तहसील सहाड़ा (जिला भीलवाड़ा) के ग्राम नेखाड़ियों के खेड़े के निकट चन्द्रभागा के बन्ध की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण योजना

श्री शंभूसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा के ग्राम नेखाडियों के खेडे के पास सिंचाई डिविजन कांकरोली में चन्द्रभागा के बान्ध की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) क्या उपर्युक्त बान्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ?

(ग) क्या उपयुक्त बान्ध की सर्वे और तखमीना हो चुका है ? यदि हां, तो कितना तखमीना है और काम कब तक आरम्भ हो जावेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) हां।

(ख) हां।

(ग) तखमीना ७,८६,०६० रु० का है। काम अगली अप्रेल तक शुरू करने की आशा है।

प्रश्न संख्या २९४

कस्बा सुमेरपुर में चौकी टेक्स नाम से पुलिस द्वारा टेक्स वसूल करना

श्री भैंरुसिंह्—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविजन के कस्बा सुमेरपुर में चौकी टेक्स नाम से पुलिस द्वारा कोई टेक्स वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत और किस हिसाब से लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)-(क) नहीं, अब वसूल नहीं किया जाता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि ऐसा टेक्स २. ४. ५२ तक ग्राम सुमेरपुर में १ रु० सालाना की दर से वसूल किया जाता था।

(ख) अब ऐसा कोई टेक्स नहीं लिया जाता है इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरुंसिंह—सन् ५२ तक सरकार ने टेक्स वसूल किया तो क्या यह जायज किया ?

श्री अध्यक्ष—जायज-नाजायज से अब क्या मतलब है ?

श्री भैरु सिंह—अगर नाजायज था तो वापिस लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—रिफंड मांगिये लॉ कोर्ट्स के द्वारा।

श्री भैरु सिंह—सरकार ने इसे बंद करने की आज्ञा कब जारी की ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिये। सन् ५२ के बाद कोई टेक्स वसूल नहीं किया गया।

श्री भैरु सिंह—सन् ५२ तक वसूल किया जाता था, फिर अपने आप बंद हुआ या सरकार ने आज्ञा निकाल कर बंद किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—पहले से चला आ रहा था। जब राजस्थान का फोर्मेशन हुआ तो बंद कर दिया गया।

श्री भैरु सिंह—राजस्थान के फोर्मेशन के बाद भी वसूल किया जाता रहा, फिर बंद करने की आज्ञा दी गई या अपने आप ही बंद हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—आज्ञा तो दी ही गई होगी।

श्री भैरु सिंह—या अपने आप अफसरों की ढिलाई के कारण बंद हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने स्पष्ट कह दिया है कि कोई चीज बंद होती है तो सरकार की आज्ञा से ही होती है। बगैर आज्ञा के बंद नहीं होती।

श्री भैरु सिंह—सरकार द्वारा आज्ञा दी गई होती तो राजस्थान बनने के बाद सन् ५२ तक क्यों नहीं बंद हुआ, ढिलाई के कारण ही बंद हुआ मालूम होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ढिलाई का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरु सिंह—राजस्थान बनने के बाद से ५२ तक का लगान वसूल होता रहा, इसके बीच में सरकार ने आज्ञा क्यों नहीं दी।

[निस्तब्धता]

प्रश्न संख्या २६८

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कस्तूर चन्द।

[अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये]

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४
(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Legislative Business Clause (5)

श्री कंवरलाल जेलिया – माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ [५] के अन्दर जो संशोधन प्रस्ताव हैं उनमें से एक तो प्रस्ताव जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य का, दूसरा परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य का और तीसरा सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य का है। ये संशोधन, सिटी की परिभाषा है और उसके सम्बन्ध में विभिन्न विचार-धारा रखते हुए हैं। मुझे खास तौर से परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य के संशोधन पर जोर देना है और सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस संशोधन के साथ ही सिटी कॉर्पोरेशन को इस वक्त कायम रखने के अपने विचार प्रकट किये हैं उस बारे में यह बताना चाहूँगा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिटी म्युनिसिपेलिटी की क्या परिभाषा हो और कितनी आबादी के शहर को सिटी घोषित किया जाय, इस सम्बन्ध में मैं विचार रखूंगा।

एक माननीय सदस्य तो चाहते हैं कि उदयपुर को कॉर्पोरेशन अब भी कायम रहे। उनकी मान्यता है कि उदयपुर कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है वह आज के जमाने में प्रगतिशील है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो, हिन्दुस्थान के बड़े बड़े शहरों के कॉरपोरेशन की स्थिति को देखते हुए, बम्बई मद्रास और कलकत्ता की सिटी कॉर्पोरेशन्स की स्थिति को देखते हुए और जहां जहां कॉरपोरेशन्स हैं वहां की जन-संख्या को देखते हुए यहां राजस्थान में एक लाख से कम आबादी वाले स्थान पर सिटी कॉर्पोरेशन कायम करें तो यह कहां तक उपयुक्त होगा? दिल्ली जो कि हिन्दुस्थान की राजधानी है वहां अभी तक कॉर्पोरेशन नहीं बन पाया है। जहां तक उदयपुर की ऐतिहाहिक भावनाओं को देखते हुए, वहां के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसकी कद्र करने का सवाल है, कौन उसकी कद्र नहीं करता है, यह आवश्यक नहीं कि उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन रहे तभी उदयपुर की प्राचीन भावनाओं और गौरव की कद्र रहेगी। जयपुर में सिटी कॉर्पोरेशन हो, इसके संबन्ध में जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने विचार दिये थे कि जयपुर राजस्थान की राजधानी और सबसे सुन्दर शहर है इसलिये यहां सिटी कॉर्पोरेशन होना चाहिये, पर यहां सिटी कॉर्पोरेशन नहीं हो सकता। हां। सिटी म्युनिसिपैलिटी की जगह म्युनिसिपल कौन्सिल नाम रखा जावे तो यह सुझाव किसी हद तक माननीय है।

परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि ५०००० की आबादी वाले शहर को इस सिटी की परिभाषा में माना जाना चाहिये। सिटी म्युनिसिपैलिटी के लिये १ लाख की आबादी का होना जो इस परिभाषा में रखा गया है वह होने से सभी डिविजनल हैड क्वार्टर हैं वे नहीं आते हैं। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम म्युनिसिपैलिटी-कानून में ज्यादा से ज्यादा पॉवर देना चाहता हैं और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह

[श्री कंवरलाल जेलिया]

करना, यह उचित नहीं है। परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन रखा कि ५०,००० की आबादी वाले शहर को सिटी म्युनिसिपैलिटी की परिभाषा में माना जाय और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सुझाव था कि जयपुर सिटी म्युनिसिपैलिटी का नाम सिटी कौंसिल रख दिया जाय, ये दोनों चीजें दर असल मानने की चीजें हैं। ५० हजार की आबादी में लगभग सभी प्राचीन महत्व के शहर आ जाते हैं, डिवीजनल हैड क्वार्टर भी लगभग आ जाते हैं, इसलिये यह सुझाव मानने के काबिल है। नगर का क्या महत्व है और कस्बे का क्या महत्व है, इनकी पुराने जमाने से अलग अलग व्याख्या की हुई है। अशोक के जमाने में भी, जब कि जनतन्त्र व्यवस्था थी उस काल में भी और जानपद और आंचलिक आदि की व्यवस्था थी और इनके अलग अलग महत्व थे, बड़े बड़े शहर थे उनको पोर नाम से घोषित किया गया था। आज भी नगर और टाउन की परिभाषा अलग अलग रूप से भूगोल में विद्यार्थियों को सिखाई जाती है।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह सुझाव था कि २०,००० की आबादी वाले शहरों को सिटी म्युनिसिपैलिटी की परिभाषा में लेना चाहिए। वह सुझाव उपयुक्त नहीं है। स्कूलों में जो नगरों की परिभाषा भूगोल में विद्यार्थियों को सिखाई जाती है उसको देखते हुए भी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सुझाव मानने के काबिल नहीं है। वह सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रखा गया है। उसे मैं मजाकिया तौर के सिवाय और कुछ नहीं मानता। उस सुझाव का कोई वजन नहीं है।

परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो ५०,००० की आबादी के शहरों को इस परिभाषा में सम्मिलित करने का सुझाव रखा है वह मानने योग्य हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। ५०,००० की आबादी के शहरों को सिटी म्युनिनिपैलिटी की परिभाषा में मान लिया जायगा तो इसमें सभी डिवीजनल हैड क्वार्टर आ जावेंगे और अलवर भी आ जावेगा। इस तरह ६ शहर आ जावेंगे। इस तरह ६ सिटी म्युनिसिपैलिटियां बन जाती हैं और इन पुराने नगरों का महत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। सिटी म्युनिसिपैलिटि की परिभाषा को प्रिफेन्स के अनुसार विचारा जाना चाहिये।

सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने कॉर्पोरेशन का जो प्रस्ताव रखा है, उसको वापिस ले लें।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार किया जावे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, सलूम्बर-सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह इस प्रकार है:

'Corporation' means a municipality having a population of not less than 50,000 inhabitants.

[श्री जगतसिंह झाला]

इसका मैं समर्थन करता हूँ। उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन का कार्य संतोषजनक चल रहा है हम इस चीज़ के बारे में सदन में कई बार निवेदन कर चुके हैं। सिटी कॉर्पोरेशन के नाम से वहां उसको अधिकार दिये हुए हैं, आज के जनयुग में वे अधिकार दिये जाने जरूरी होते हैं। उनको एटोनोमस अधिकार हैं। उनकी अपील नहीं होती है तो उनके अधिकारों को खत्म करना अच्छा नहीं होगा। उदयपुर में सिटी कॉर्पोरेशन है तो वह अच्छी चीज है। दूसरी जगह भी राजस्थान में कायम करें, हम यह नहीं कहते कि राजस्थान में दूसरी जगह सिटी कॉर्पोरेशन नहीं रहें। उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन की कोई शिकायत नहीं है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है; तो फिर यह सिटी कॉर्पोरेशन तोड़ कर नागरिक अधिकारों को तोड़ने का यह क्लाज़ रखा है यह वहां की जनता के साथ बड़ा अन्याय है।

हम तो यह चाहते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी हैं, यहां भी सिटी कॉर्पोरेशन हो, अलवर में भी हो; तो फिर उदयपुर की सिटी कॉर्पोरेशन को क्यों तोड़ना चाहते हैं ? उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन का जो कानून बना हुआ है, उसकी धारायें कितनी जनतांत्रिक हैं ? १० वर्ष पहले राजाओं को कहते थे कि वे जनतांत्रिक नहीं थे। यह उदयपुर में कॉर्पोरेशन आज से १० वर्ष पहले जब राजाओं का राज्य था उस समय बनाया गया था। जिन राजाओं को प्रतिक्रियावादी कहते थे, उन राजाओं के समय में यह प्रगतिशील कदम उठाया गया था। उसको आप प्रगतिशील कहेंगे या प्रतिक्रियावादी ?

(" हिअर, हिअर " की विरोधी दल द्वारा आवाज)

श्री कंवरलाल जेठिया— यह माननीय सदस्य की जानकारी गलत है।

श्री जगतसिंह झाला—हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जो उदयपुर से यहां आये तो उनको उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से अभिनन्दन पत्र दिया गया। उसके दो पैरे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"राज्य के उच्च नागरिक : हमें आज हर्ष है कि हमारे नगर ने आपको राजस्थान विधान सभा में भेजा है और हम उदयपुर नगर की समस्याओं की ओर जिनमें प्रधानतया यहां टूरिस्ट सेन्टर बनाना, यहां की म्युनिसिपल संस्था को कॉर्पोरेशन के रूप में बनाये रखना तथा यहां औद्योगिक विकास करना शामिल है, और जिनसे आप भली प्रकार परिचित और चिन्तित हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम तथा यहां के नागरिक राजस्थान या उसके किसी भी हिस्से की सेवा और विकास के लिए आपके महान उत्तरदायित्व का सहयोग करेंगे ;"

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसके जवाब में जब कॉर्पोरेशन ने मानपत्र दिया तो उस पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया और आपने उत्तर में कहा कि "इस कॉर्पोरेशन को

Page No.37

[श्री जगतसिंह झाला]

बनाये रखने और औद्योगिक विकास आदि की उन्नति के लिए वे हमेशा कोशिश करेंगे। इस बात का आश्वासन दिया था। मैं यह कहूँगा कि आप उन चीफ मिनिस्टर साहबकी भावनाओं और उन्होंने जो आश्वासन दिया, उनकी तो कद्र करें और उनकी भावनाओं का दुरुपयोग न करें। मैं यह कहूँगा कि उन्होंने जो बातें सिटी कॉर्पोरेशन के लिये कहीं उनकी भावना का आपको आदर करना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि उदयपुर के कॉर्पोरेशन में बहुमत कांग्रेस के लोगों का है और वहां का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिये मैं कहूँगा कि जब वहां पर बहुमत कांग्रेस के लोगों का है और वहां का काम भी बहुत अच्छा है तो फिर आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि इसको कायम रखना चाहिए और दूसरे शहरों में भी कॉर्पोरेशन की भावना कायम की जावे और दूसरी जगह पर भी रखे जावें।

("हिअर-हिअर" की आवाज)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उसकी मुखालफत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं....

("हिअर-हिअर" की विरोधी दल की ओर से आवाज)

और वह इसलिए कि मैंने उस जगह भी मुखालफत की जहां पर बहुत जोर लगाया गया था कि कॉर्पोरेशन कायम रहना चाहिये। मैं भी सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था, वहां पर। जिस कानून को आज प्रगतिशील कानून बताया जाता है उसको देखने का मौका मिला और मैंने उस कानून को गौर से देखा। मेरे माननीय मित्र ने बताया कि राजाओं के जमाने में भी प्रगतिशील कानून बनाये गये तो हमें उन कानूनों की कद्र करनी चाहिए, लेकिन हमें यह देखना है कि आया वह कानून प्रगतिशील थे या नहीं। इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो कॉर्पोरेशन बना हुआ है उसको इतना अधिकार नहीं है जितना कि म्युनिसिपल कमिश्नर को होता है।

एक माननीय सदस्य—इनकी अपील कहां होती है?

श्री वेदपाल त्यागी—यह सही है कि इसकी अपील नहीं होती। मगर इसके अलावा इनके हाथ में पॉवर्स क्या हैं? अगर आज, किसी चीज या रिपोर्ट या फायल को कॉर्पोरेशन देखना चाहे या मंगाना चाहे, तो यह म्युनिसिपल कमिश्नर की मर्जी है कि वह उसके मेम्बर को कोई रिपोर्ट दिखावे या फायल दिखावे। कॉर्पोरेशन के मेम्बरों को कोई अधिकार नहीं है कि वे उनसे रिपोर्ट मंगा सकते हैं। हां, उनको यह अधिकार जरूर है कि अगर कोई छज्जा लगा देता है तो वे चाहे तो २५ रु० या ५० रुपये उस व्यक्ति पर जुर्माना कर सकते हैं और उसकी अपील कहीं पर नहीं होती है। चूंकि इसकी अपील किसी जगह नहीं होती इसलिये यह प्रगतिशील कानून है, यह कहना बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति के राइट्स को दबाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाये

[श्री वेदपाल त्यागी]

जावें और उस कानून को यदि आप प्रगतिशील कहें या कहा जावे तो हमें इस प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी बातों की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। हम सबको इन्साफ मिल सके इसलिए हमारे संविधान में यह रखा है कि अगर कोई किसी बात से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह आखिरी अदालत तक पहुँच कर इन्साफ प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उसको मौका दिया गया है।

अगर आपको कोरपोरेशन नाम से हीं मोहब्बत है तो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ को भी आप कॉर्पोरेशन का नाम दे दें और म्युनिसिपल एक्ट को उसका नाम बदल कर कॉर्पोरेशन एक्ट बना दिया जावे। मगर इससे आपको सन्तोष नहीं हो सकता। मगर कॉर्पोरेशन के साथ जो मिशन है उसको हमें देखना चाहिए। आप ५० हजार की आबादी से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए कॉर्पोरेशन के लिये जोर लगा रहे हैं। मगर जयपुर शहर में जहां ४ लाख की आबादी है वहां पर भी अभी तक कोई कॉर्पोरेशन नहीं है। भारतवर्ष में सिर्फ इने गिने कॉर्पोरेशन्स हैं। इन इने गिने कॉर्पोरेशन्स में उदयपुर का नाम जोड़ दिया जावे तो यह टेरिटोरियल पेटर्न के नाम पर कहा जाता है। राजस्थान अब एक हो चुका है और हमें राजस्थान की दृष्टि से सोचना चाहिये कि राजस्थान में किस प्रकार का शासन कायम करना है। उदयपुर में वह कॉर्पोरेशन बराये नाम था, उसके पास कोई पावर्स नहीं थे। आप यह अच्छा समझते हैं कि उसकी अपील नहीं हो सकती, इसलिये यह बहुत अच्छा था। यदि आप ठीक काम करते हैं तो आपको अपील से कोई भय नहीं होना चाहिये क्योंकि अगर आपने इन्साफ किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और अगर आपने गैर इन्साफ किया है तो लोगों को आगे इन्साफ मिल सकेगा और आपके किये गये गैर इन्साफ से लोगों की रक्षा होगी। इसलिये अपील से न डर कर इस बात की कोशिश करें कि इस कानून के द्वारा जो म्युनिसिपैलिटियों को अधिकार दिया गया है वे इससे अधिक हैं। अगर आप कॉर्पोरेशन के अधिकारों और म्युनिसिपल बोर्डों को दिये गये अधिकारों का मुकाबला करें तो आपको मालूम होगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ को बहुत ज्यादा पॉवर्स दिये गये हैं जो कॉर्पोरेशन में नहीं थे। इसलिये आप महज कॉर्पोरेशन के नाम और टेरीटोरियल भावना में न बह कर उसको राजस्थान की दृष्टि से देखें। इसीलिये मैं इसकी मुखालफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं, माननीय विरोधी दल की तरफ से जो कहा गया कि जब मुख्य मंत्रीजी को कोर्पोरेशन की तरफ से मान-पत्र दिया गया उस समय उन्होंने आश्वासन दिये, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने चाहे उस समय कुछ भी कहा हो और हो सकता है कि उन्होंने उस समय भावुकता के जोश में आकर कुछ कह दिया हो, लेकिन उनके शब्द जो उन्होंने कहे वे हमारे सामने है नहीं। और माननीय सदस्य ने जो कुछ पढ़ कर सुनाया वह एक आदमी ने मान-पत्र ड्राफ्ट किया है उसको पढ़ कर सुनाया है। मुख्य मंत्रीजी एक चतुर आदमी हैं वे कभी भी इस प्रकार का वायदा नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—चेष्टा की होगी।

Page No.39

श्री वेदपाल त्यागी—वे कभी इस प्रकार की चेष्टा भी नहीं करेंगे, इसलिये आप उन भावनाओं से प्रेरित न हों। इसलिये जो एमेन्डमेंट रखा गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और इसको गिरा दिया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, दो तरह के एमेन्डमेंट सिलेक्ट कमेटी में आये हैं। एक कॉर्पोरेशन के बारे में और दूसरा यह कि एक लाख के बजाय ५० हजार की आबादी वाले कस्बों और टाउन्स को म्युनिसिपल शहर मान लिया जावे।

जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है मैं यह कहूँगा कि अगर नाम से ही मोहब्बत हो तो नाम बदल कर रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहां हिन्दुस्तान में बहुत कम कॉर्पोरेशन्स् हैं। सारे हिन्दुस्तान में ७ या ८ कॉर्पोरेशन्स है। इसके पहले सिर्फ बंबई, मद्रास और कलकत्ते में यानि तीन जगह ही सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार के कॉर्पोरेशन्स थे। अगर इसका मुकाबला करें तो मैं समझता हूँ कि यह बात बिल्कुल गलत होगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—केवल नाम से ही राजी हो जावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसलिये मैं यह कहूँगा कि इसका रखना ठीक नहीं होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—केवल मखौल उड़ेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूँ कि इसलिये इस बात के लिये हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

कार्पोरेशन पहले बना हुआ था। अगर हटाने की बात हो तो वह दूसरी बात है। इस तरह की गलत बातों में पड़ कर किसी के साथ इस प्रकार नहीं किया गया है। इसलिये महज इस भावना में पड़कर कोई गलत बात नहीं कहनी है। इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।

जहां तक दूसरा अमेंन्डमेंट आया है कि १ लाख के बजाय ५० हजार कर देना चाहिए, इसमें भी मैं समझता हूं कि हमारे दिमाग में कमजोरी है वह मालूम पडती है। यदि इस सब क्लॉज़ को क्लॉज़ ७ है उसके साथ देखेंगे, उसके साथ पढ़ने से, जिन सज्जनों ने अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं, मैं समझता हूं कि उनके अमेन्डमेन्ट्स् का मतलब पूरा हो जाता है।

गवर्नमेन्ट को पावर्स दिये गये है उस सम्बन्ध में लोग यह समझते हैं कि गवर्नमेन्ट को पावर्स नहीं देने चाहिए क्योंकि गवर्नमेन्ट उनका मिसयूज़ करेगी। मैं नहीं समझ सका कि ५० हजार की जहां जनसंख्या हो वहां के स्थानों को कौंसिल माना जावे, तो क्या गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हो जाते हैं, फिर भी अगर लोगों को किसी प्रकार की गलतफहमी है तो मैं कहता हूं कि मुझे इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है।

(विरोधी पक्ष से करतल-ध्वनि)

Page No.40

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जो डेफिनिशन रखी है वह बिल्कुल ठीक है। उनकी मंशा दफा ७ के मुताबिक पूरी हो जाती है। उनका यह ख्याल है कि गवर्नमेन्ट बहुत बड़े पॉवर्स लेने जा रही है, या बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह ऐसी बात है कि यदि ५० हजार के कस्बों को सिटी मान लिया जाय तो मुझे उस तरह के कस्बे को मान लेने की आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, मेरे अमेंडमेंट को लेकर कई माननीय सदस्यों ने इसको क्षेत्रीय भावना बताया। अगर उस अमेंडमेंट को ठीक तरह से देखा जाता तो क्षेत्रीय भावना का प्रश्न ही नहीं उठता। पचास हजार की आबादी से ऊपर के जितने कस्बे हैं वहां कोर्पोरेशन म्युनिसिपेलिटीज़ के एवज में रख दिया जाय। मैंने तो एक जनरल चीज रखी है। उसमें यही चीज रखी थी, चूंकि कई शहरों में कार्पोरेशन कायम किये जा रहे हैं और अगर कहीं रियासतों में इंडस्ट्रियल एरीयाज नहीं है, टाउन्स नहीं हैं, इतनी आबादी नहीं जितनी की होनी चाहिये, लेकिन कमिशनर का हैडक्वार्टर हो, और पचास हजार के ऊपर की आबादी हो तो वहां यदि कार्पोरेशन कायम कर दिया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं हैं। और दूसरी बातें कही गई, माननीय मुख्य मन्त्री जी के बारे में। माननीय मुख्य मन्त्रीजी कई दिनों से है भी नहीं। मैंने ही यह अमेंडमेंट रखा है। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के बनने से पहले कई पुरानी रियासतें थीं, उनकी राजधानियां हटीं, हाईकोर्ट हट गये, कई चीजे हट गई और साथ ही एक कार्पोरेशन था वह भी हट रहा है।

[हंसी]

कुं० श्री जसवंतसिंह—We sympathize.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रकार का दुख हो रहा है उसके हटने से।

श्री सोहनलाल भटनागर—किसी चीज के प्रति कोई भावना होती है और वह भावना ज्यादा असर करती है। इसी दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव रखा था। कभी कभी भावना के कारण ही कई विधेयक सदन में आते है, जैसे पशु बलि निषेध विधेयक आया था। तो मैंने इसी दृष्टि से इसको रखा था कि दूसरी जगह जहां ५० हजार से ऊपर की आबादी हो उनको सीटी म्युनिसिपेलिटी कर रहे हैं और जैसा पहले बताया गया था कि उसको कौंसिल कह सकते हैं। तो मैं इस सन्तोष के साथ बैठता हूं। कार्पोरेशन न हो कर कौंसिल हो तो मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— We sympathize with you.

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रस्ताव तो स्वीकार किया था ।

श्री अध्यक्ष—स्वीकार है मंत्रीजी को । श्री एच. के. व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह.

श्री भैरुसिंह [वि० सं० १६]—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा संशोधन स्वीकार हो गया लेकिन इसमें कुछ शब्द रह गये हैं । यदि माननीय मन्त्रीजी बतादें कि उनको भी स्वीकार कर लिया तो ठीक है । वे शब्द हैं 'and any municipality which is a city by virtue of a notification under Section 7 A.' इन शब्दों को हटाने के बारे में कुछ नहीं कहा है । यदि वे इन शब्दों को मंजूर कर लेते हैं तो फिर मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे शब्द अपने आप हट जावेंगे, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष—कुछ बातें कही नहीं जाती हैं ।

[हंसी]

क्या सदन की अनुमति है कि श्री भटनागर को उनका प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

[स्वीकृत]

अनुमति प्रदान की गई ।

कु० श्री जसवन्तसिंह— With sympathi is.

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Withdrawn.

(विराम)

प्रश्न यह कि जो प्रस्ताव श्री चांदमल मेहता ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

Page No.42

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

८ प्रश्न यह कि जो प्रस्ताव श्री एच.के व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैंरू सिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । (राज्य पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा 'No' कहने पर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Thar I have already accepted.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को सब क्लॉज़ (५) को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (५) स्वीकार किया जाय ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (६)

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (६) स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (६) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (७)

(विराम)

Page No.43

श्री भैरोंसिंह—सब क्लॉज़ (७) में मेरा संशोधन यह है :

"Insert the words "and animal' between the words 'man' and 'is.'

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसको शायद स्वीकार कर लेंगे, ताकि उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़े संशोधन बिल्कुल छोटासा हैं, लेकिन है बड़ी अहमियत का ।

श्री अध्यक्ष—लाइफ का सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह—जी हां, लाइफ का सवाल है और इसीलिए मुझे कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष—एनीमल्स के लिए सेप्रेट प्रोविजन्स हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ २३० है, उसमें दर्ज कर रखा है ।

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसका समावेश डेन्जरस डीज़ीज़ के नाम से नहीं होता है । सब क्लॉज़ (७) में यह व्यवस्था की गई है कि कौन कौनसी ऐसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जिनके कारण मनुष्यों की जान खतरे में पड़ जाय और उन खतरनाक बीमारियों की इसमें व्यवस्था की गई है । मेरा संशोधन है कि केवल खतरनाक बीमारियों से ही मनुष्यों की ही जान खतरे में पड़ जाय ऐसी बात नहीं है । सीमित प्रोविजन किया गया है ! तो मनुष्यों की और पशुओं की, दोनों की ही, जान खतरे में पड़ जाय तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिये, यही मेरा संशोधन है ।

इस सम्बन्ध में म्युनिसिपेलिटीज़ की आज्ञा होगी कि इस प्रकार की खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए किस प्रकार का उपाय करेंगी, वहां रहने वालों को किस प्रकार आदेश देंगी, राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेंट से किस प्रकार की सहायता रहेगी, इस प्रकार को सहायता लेने में, आदेश देने में, आदेशों की तामील कराने में, म्युनिसिपेलिटीज़ को क्या अधिकार होंगे ? यही अधिकार होंगे कि उन डेन्जरस डिज़ीज़ की रोकथाम के बारेमें जो कुछ व्यवस्था की जायगी (अश्रव्य) आपने डेन्जरस डीज़ीज़ यहां मनुष्यों के बारे में ही रखा है, पशुओं के बारे में आगे व्यवस्था बता रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन करना है कि म्युनिसिपेलिटीज़ को तो केवल एक अधिकार होगा डेन्जरस डिज़ीज़ के बारे में और यहां व्यवस्था करने से यह अभिप्राय होगा कि वे डेन्जरस डिज़ीज़ होंगी जो कि मनुष्यों के विषय में सारी की सारी आती हों ।

इसलिये मेरा यह संशोधन है कि मनुष्य सम्बन्धी और जानवरों सम्बन्धी जितनी भी इस प्रकार की डिज़ीज़ेज़ हैं उनको हम डेन्जरस डिज़ीज़ मानें । कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पशुओं में फैलते फैलते मनुष्यों में आ जाती है और पशुओं के कारण मनुष्यों को नुकसान हो सकता है । इस-लिए मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रकार की छूआछूत की बीमारियों को डेन्जरस डिज़ीज़ में शामिल किया जाय, जिनका मनुष्यों पर असर हो सकता है । माननीय मन्त्री महोदय, गलतफहमी है कि क्लॉज़

Page No.44

[श्री भैरोंसिंह]

३६ में हमने इस प्रकार की व्यवस्था करदी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन को सोच-समझ कर स्वीकार कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह कि इसकी उपधारा में जहां 'मेन' शब्द का प्रयोग किया गया है वहां 'कम्युनिटी' शब्द का प्रयोग किया जाय। अमूमन जब कभी डेन्जरस डिज़ीजेज़ का उल्लेख होता है तो उसका तातपर्य यह गिना जाता है कि यह बीमारी ज्यादा न फैल सके। दूसरे लोगों की जिन्दगी को खतरे में डालने की हालत न पहुंच जाय तभी उसको डेन्जरस डिज़ीज़ में शुमार किया जा सकता है।

आज जिस रूप में यह क्लॉज़ है उस रूप में मेरा ख्याल है कि अगर कोई डिज़ीज़ जो डेन्जरस मानी जाती है अन्त में जाकर वह मनुष्य जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है लेकिन इस एक्ट की जहां तक मन्शा है वह यह है कि ऐसी कोई बीमारी छूआछूत की वजह से समाज के समूह में या शहर के कुछ भाग में खतरे का बायस बन जाय तो उसके लिए आगे जाकर व्यवस्था करने की उपयोगिता समझी जाय, इसलिए जहां "मेन" शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी जगह कम्युनिटी इनसर्ट कर दिया जाय। उससे मेरा ख्याल है मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन रखा है उसकी भी मन्शा पूरी हो जायगी। कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिससे कम्युनिटी को खतरा पहुंच सकता है इस मेरे संशोधन से सारी समस्याओं का हल हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, ये दोनों अमेन्डमें अनावश्यक हैं। इसकी वजह यह है कि डेन्जरस की डिज़ीज़ की डेफीनेशन है उसमें इन्फेक्शस डिज़ीज़ट भी साथ लिखा हुआ है। अगर ऐसी कोई डिजीज़ जानवरों में होगी तो म्युनिसिपल बोर्ड उसके लिए अवश्य कार्यवाही करेगी इसलिए इन्फेक्शस डिजीज़ में एनीमल जोड़ना अनावश्यक है। इन्फेक्शस डिजीज़ यदि जानवरों में होगी तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। एनीमल्स में यदि कोई इन्फेक्शस डिज़ीज़ हो तो उसके लिए प्रोविजन कर दिया है।

दूसरा संशोधन जो माननीय सदस्य ने रखा है कि 'मेन' की जगह 'कम्युनिटी' कर दिया जाय, इसके लिये यह निवेदन है कि 'मेन' को जहां डिफाइन किया गया है ह्युमेन बींग को मेन के अन्दर समावेश कर दिया है। Man means human beings इससे मेरे ख्याल से माननीय सदस्य की जो भावना है उसका इसमें समावेश हो जाता है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, मुझे समझ में नहीं आया कि माननीय मन्त्री महोदय को कौनसी दिक्कत आती है इसको स्वीकार करने में। ऐसी बीमारी जो जानवरों में फैलकर खतरनाक रूप धारण कर सकती है उसको खतरनाक बीमारी मानने में क्या आपत्ति है ? जब कि छूआछूत की बीमारी को रोकने के नियम बनाये जा रहे हैं तो छूआछूत जैसी खतरनाक बीमारी मान-

[श्री भैरोंसिंह]

कर उसको खतरनाक बीमारी से रोकने के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उसको इसमें लागू क्यों न माना जाय ? छूआछूत की बीमारी जब खतरनाक स्टेज पर पहुँच जाती है और यदि आप उसे खतरनाक बीमारी की डेफीनिशन में नहीं लेते हैं तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं हो सकते। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इनफेक्शस डिज़ीज़ और खतरनाक डिज़ीज इन दोनों का डिफ्रेन्स समझ कर माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकृत करने की सम्मति प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष—The point has been brought home.

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई हित की बात भी नहीं मानें तो क्या किया जाय। आप इस पर वोट ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (७) में जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (७) में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ (४) का सब क्लॉज़ (७) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (७) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (८)

Page No.46

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (८) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (८) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (९)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ (९) में मेरा संशोधन है लाइन एक में, जहां किसी जज के मुकर्रर करने का उल्लेख है। वहां स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय और कोई जज जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के लेवल का नहीं होगा। मौजूदा क्लॉज़ इस प्रकार है; वहां जज की परिभाषा की गई है : '"Judge" means a District Judge," इस परिभाषा में यह शब्द रखा गया है, 'Or any other Judge appointed by the State Government from time for any of the purposes of this Act.'

जिस प्रकार के शब्द इसमें यूज किये गये हैं उससे यह मतलब है कि उसमें कोई बन्धन नहीं कि राजस्थान सरकार जज मुकर्रर करते समय किसी भी व्यक्ति को जज मुकर्रर कर सकती है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कोई भी जज मुकर्रर किया जाय वह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के केडर का हो। इस धारा के अन्तर्गत वे किसी को भी जज मुकर्रर कर सकते हैं। आगे चल कर उसको इलेक्शन पीटीशन सुनने के अधिकार भी मिल जाते हैं और दूसरे सिलसिले में उसको इस एक्ट में अधिकार दिये गये हैं। अगर राजस्थान सरकार की यह मन्शा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के बजाय और किसी व्यक्ति को जो इस स्टेटस का न हो तो भी इस एक्ट के अन्दर अधिकार दिये गये हैं, उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने का मौका दिया जाय। राजस्थान सरकार की यही मन्शा है तो जजेज़ की परिभाषा में डिस्ट्रिक्ट जज भी कर दिया जाय, हालांकि उसका स्टेटस उतना नहीं हो; फिर भी इसके अनुसार जज मुकर्रर कर दिया जाय; अगर यह इच्छा है तो मेरी राय में ऐसे व्यक्ति को मुकर्रर करना होगा जो इस स्टेटस का होगा; कम तो किसी हालत में नहीं बड़े स्टेटस का रखे तो दूसरी बात है। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है जजेज़ के मुकर्रर करने आदि के बारे में ...."..any other Judge not below the rank of the District Judge appointed by the State"

स्टेट गवर्नमेंट पर इतना बन्धन हो इस रैंक का, इस स्टेटस को कायम रखे; जिस रैंक और स्टेटस को हमने सबसे पहले तय किया है। यह मानते हुए कि इस संशोधन पर किसी को विरोध नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो सकता, मन्जूर करना न करना मंत्री महोदय का काम है। अतः मैं सदन की स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष जी, यह अमेन्डमेंट अगर मान लिया जावेगा तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जावेंगी। क्लॉज ३५ में प्रोविजन रक्खा है कि इलेक्शन पिटीशन जज सुनेंगे और अगर सब जज के लिए करें तो सिविल एण्ड सेशन्स जज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हैं नहीं; इसलिये उससे दिक्कतें हो जाने के बजाय और किसी को फायदा नहीं हो सकता। इसलिये इसे वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—I think you have followed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have not yet followed the implications of what has been said.

श्री अध्यक्ष—It will be difficult for people to go to the District Judges from places which are far situated from the district headquarters.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I am only talking of the rank, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सिविल एण्ड एडीशनल सैशन्स जज सिविल जज रैंक का नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चाहे किसी को मुकर्रर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—सिविल एण्ड सैशन्स जज के नीचे मुन्सिफ होता है।

श्री अध्यक्ष—But Civil Judges will be entitled to hear under this law.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—If so authorised by the Government.

तो मैं अर्ज करूं साहब, माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के २५ जिलों में से केवल १४ जिलों में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सभी जिलों में सिविल और एडीश्नल सैशन्स जज हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत कई कई सिविल और एडीश्नल सेशन्स जज हैं और केवल सिविल जज भी हैं जिनको सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स जज के अतिरिक्त सीनियर सिविल जज भी कहते हैं; तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि सारी इलेक्शन पिटीशन्स डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुन सकें क्योंकि उसके पास पहले ही कानून के अन्तर्गत बहुत ज्यादा अधिकार दिये हुए होते हैं जिस से काम अधिक हो सकता है। आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज का अतिरिक्त काम सिविल और एडी-

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

शनल सेशन्स जज के पास दिया जाता है। जैसे जयपुर शहर में भी एक डिस्ट्रिक्ट जज है जिनका जुरिस्डिक्शन जयपुर शहर और टौंक है। उनके लिए जयपुर शहर में मदद करने के लिये एक सीनियर सिविल एण्ड एडीशनल जज हैं और एक सीनियर जज है। उनके पास एक करोड़ रुपयों की भी नालिश हो सकती है। वह वहां से इन्स्टीट्यूट होगी, अन्यथा प्रिन्सिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होनी चाहिए।

इसी तरह से अगर म्युनिसिपल एक्ट में भी सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स जज को या सिविल जज को अपोइन्ट करने का प्रोवीजन दिया गया है तो वह नितान्त आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट जज सारे केसेज़ को नहीं सुन सकता और डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का जहां तक प्रश्न है तो वह रैंक जो यहां मुकर्रर किया गया है सीनियर और जूनियर कैडर का, वहां सीनियर कैडर में सीनियर सिविल और एडीशनल सेशन्स जज दोनों आ जाते हैं। तो इस धारा का अभिप्राय यही है कि सीनियर कैडर के आदमियों को इलेक्शन पीटिशन सुनने का अधिकार गवर्नमेन्ट दे सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये माननीय सदस्य ने जो कुछ उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में मेरा समर्थन किया है ; उन्होंने शायद यह फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स ज़ज़ के अलावा सिविल एण्ड एडीशनल सैशन्स ज़ज़ जो हैं उनकी पोजीशन एक प्रकार की सीनियर ज़ज़ के रैंक की गिनी जाती है। उनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अन्दर विशेष तौर पर कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि काम ज्यादा होने की वजह से वे नियुक्त किये गये हैं।

सिविल ज़ज़ के लिए अभी अभी बताया कि अलग कैडर में आते हैं और उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कम है। तो मेरे संशोधन की केवल यही मंशा थी कि केवल उस रैंक के लोग जिनको एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स ज़ज़ मुकर्रर किया जा सकता है या किया जाता है उससे ज्यादा नीचे के स्तर के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्षजी, जोधपुर से आये माननीय सदस्य ने, जो कुछ मैंने निवेदन सदन के सामने उपस्थित किया उसे ठीक तरह से समझा नहीं मालूम होता है। उन्होंने एक शब्द एडीशनल इधर से उधर कर दिया और इस एडीशनल ज़ज शब्द को इधर से उधर कर देने में अन्तर हो जाता है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज दूसरा व्यक्ति हो सकता है और एडीशनल सिविल एण्ड एडीशनल सैशन्स ज़ज़ दूसरा व्यक्ति हो सकता है। जहां तक एडीशनल सिविल एण्ड सैशन्स जज का सम्बन्ध है इसको जब तक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं किया जावे तब तक अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इसके माने यह होते हैं कि एक्सक्लूड कर देना चाहते हैं सीनियर कैडर को। इस तरह वे चाहते कुछ और हैं और कहने का अभिप्राय कुछ और हो जाता है। इसलिये कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के नीचे के आदमी को भी सीनियर

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

कैडर का ही रखते हैं। इसको इलेक्शन पिटीशन सुनने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो मुझे कहना था वह तो कह दिया। यह तो मानने की बात है। अब इसकी पूरी लम्बी चौड़ी बारीकियों में जाकर चाहे जो मतलब आप निकालें। पर एक मतलब सही है कि जिसको डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर किया जा सकता है उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाना चाहिये। इसका तात्पर्य मैं समझता हूं कि रैंक से है। हाईकोर्ट के जज की, जिसकी नियुक्ति हो सकती है उसका तात्पर्य हो सकता है। इसके बाद कानूनी उलझनों में पड़कर कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—"District Judge" में आ गया। I had quoted the Article of the Constitution. प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ६ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

The Government takes the power of appointing a Civil Judge but District Judge includes Civil and Additional Sessions Judge.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही मैंने अर्ज किया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है। पास कुछ भी हो but they must have the knowledge of what we are going to accept.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They must inform the House accordingly.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब क्लाज (६) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

सब क्लाज़ (६) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लाज़ १०

(विराम)

Page No.50

[श्री अध्यक्ष]

सब क्लॉज़ १० में किसी का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि उप खण्ड (१०), (११), (१२) व (१३) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

उपखण्ड (१०), (११) (१२) व (१३) स्वीकार किये गये।

(विराम)

सब क्लॉज़ (१४), श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज़ (१४) में मेरा संशोधन है कि जो शब्द इस में "म्युनिसिपेलिटी" है उसको "नगरपालिका" शब्द से सब्स्टिट्यूट किया जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो हिन्दी ट्रान्सलेशन में आ ही जायगा।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—लेकिन जो कानून का नाम है वह भी हिन्दी का नाम होना चाहिये, इसके लिये मैंने संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो हिन्दी ट्रान्सलेशन में आ जायगा।

श्री भैरूंसिंह—कानून अंग्रेजी में बन रहा है इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष—I think for economy of time better we go to more important clauses.

श्री भैरूंसिंह—ये मंजूर कर लें इसलिये मैं थोड़ा सा बता दूं। यह फालतू आपके लिये हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्र भाषा के प्रति श्रद्धा का प्रश्न है।...

श्री अध्यक्ष—राष्ट्र भाषा के प्रति सभी श्रद्धा रखते हैं, ऐसा मान कर चलना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में वहां पर जिस जगह हिन्दी का खास क्षेत्र माना जाता है वहां भी हिन्दी शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके विपरीत उन प्रान्तों में जो हिन्दी भाषी नहीं हैं वहां भी पंचायत कानून में जो शब्द रखे गये हैं वे देखिये। हमने तो अपने यहां के पंचायत कानून में "पंचायत" शब्द रखा है लेकिन उन प्रान्तों में "ग्राम समूह" शब्द रखा है। कानून अंग्रेजी में बना है, फिर भी शब्द हिन्दी का रखा है। मध्यप्रदेश में ऐसा ही रखा गया है और बंगाल में भी ऐसा ही रखा गया है। बंगाल एसेम्बली की तो मैंने डिबेट सुनी है और जो एक्ट बना है उसको भी देखा है।

[श्री भैरोंसिंह]

एक माननीय सदस्य—आप यह जानकारी देना चाहते हैं कि आप कलकत्ता भी गये हैं।

श्री भैरूंसिंह—(जारी) मैंने जो सुना या देखा उसकी मंत्रीजी को इत्तला तो दे दूं वे कम से कम नकल तो करें। ऐसे शब्दों को जिनके जरिये से हिन्दी का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको यदि अंग्रेजी में कानून बनते समय भी अंग्रेजी की टेक्निकल टर्म्स है उनमें भी यदि हिन्दी के शब्द लें तो यह बहुत अच्छी चीज होगी। आज कोई ऐसा नहीं चाहता है कि अंग्रेजी के शब्द जो लोगों के दिमाग में घुसे हुए हैं उसी प्रकार बने रहें, बल्कि लोगों की प्रेरणा यह है कि अंग्रेजी के शब्द हिन्दी में परिवर्तित किये जांय वह इसलिये कि राष्ट्र भाषा का इन शब्दों के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसलिये निवेदन है कि "म्युनिसिपेलिटी" के स्थान पर "नगरपालिका" शब्द एडजस्ट किया जाय। म्युनिसिपेलटी शब्द को यदि बाहर गांवों में जाकर सुनें तो कभी कभी ऐसा सुनने में मिलता है कि उसको म्युनिसिपेलिटी न कह कर लोग मूसल पार्टी कहते हैं। उसके सदस्यों को मूसल पार्टी के सदस्य कहा जाय, इससे बचने के लिये ऐसा कहें कि वे नगरपालिका के सदस्य हैं। हमारे नगर का प्रबन्ध करने वाली नगरपालिका है, मूसलपालटी नहीं। इस तरह से कह कर गांवों में जो भ्रान्ति है उसको दूर किया जाना चाहिये। ज्यों ज्यों राष्ट्रभाषा परिचायक शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग अंग्रेजी में बननेवाले कानूनों में भी करेंगे तो उसकी अधिक से अधिक उन्नति होगी। इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया है, ताकि नगरपालिका शब्द का प्रचार ज्यादा हो। आज सभी म्युनिसिपेलिटी को समझते हैं और म्युनिसिपेलिटी का लोगों को जानकारी भी है लेकिन हमको अपनी भाषा की भी जानकारी दिलाना है। इसलिये मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कहूंगा कि राष्ट्र भाषा के प्रति स्नेह बढ़ाते हुए और उसका आदर करते हुए राष्ट्र भाषा में जो माने हुये शब्द हैं उनका प्रयोग करें। उनका यह कहना न्याय संगत नहीं है कि हिन्दी के ट्रान्सलेशन में "नगरपालिका" शब्द आ जायगा। लेकिन ट्रान्सलेशन का प्रयोग कानून के तौर पर नहीं होगा, बल्कि जिस भाषा में विधान सभा कानून बनाती है उसी का इन्टरप्रिटेशन होगा। इसलिये निवेदन है कि ट्रान्सलेशन की आड़ लेकर इसको न ठुकरावें, बल्कि राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम दिखलाने का प्रयत्न करें।

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां जहां म्युनिसिपल कौंसिल्स होंगी उनका क्या नाम होगा। क्योंकि अपने विधेयक में दो तरह के नाम रखे है, टाउन एंड सिटी म्युनिसिपेलिटीज़। उनके अलग अलग क्या नाम होंगे और उनके लिये हिन्दी में क्या शब्द होंगे।

श्री श्रीदास गोयल—कस्बा पालिका और नगर पालिका कह देंगे।

श्री गोरीशंकर आचार्य—मैं अपने मित्र माननीय वकीलों से, जो कानून के ज्यादा जानकर हैं, निवेदन करूंगा कि वे इसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझ कर इस पर गौर करें। हमारी राष्ट्रीय

[श्री गोरीशंकर आचार्य]

पार्लियामेन्ट के लिये माननीय जवाहरलालजी नेहरू ने बहुत ही सुन्दर दो शब्द नियोजित किये है; "लोक सभा" और "राज्य सभा"। ये दो नाम स्वीकृत हुए है। हम यह चाहते हैं कि तीसरा हिन्दी का नाम घोषित करने का श्रेय राजस्थान सरकार को मिले (हीयर, हीयर) इसलिये हम चाहते है कि जब विधान सभा और नगरपालिका दो शब्द आये है तो नगरपालिका रखने का श्रेय हम क्यों खोवें। दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन दिक्कत को सामने रख कर अच्छे काम से मुंह नहीं मोड़ें तो अच्छा है। एक सदस्य ने यह कहा कि दूसरे शब्द नहीं मिलते है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ को नगरपालिका कह दीजिये और शहर की म्युनिसिपेलिटी या कौंसिल को नागरिक सभा कह दीजिये। शब्द मिलने मुश्किल नहीं हैं। मुश्किल यह है कि अंग्रेजी का प्रेम लोगों के हृदय से गया नहीं है। जैसे रूसी और चीनी अंग्रेजी भाषा के प्रति द्वेष रखते हैं और उनका काम अपनी अपनी भाषा से चल सकता है तो भारत जैसा इतना बड़ा देश है वह क्यों विदेशी भाषा के पीछे पड़ता है, जब कि खुशकिस्मती से अंग्रेज यहां से बिदा हो चुके हैं। धारा सभा के बहुत से सदस्य इस भाषा को नहीं जानते है; तब फिर इस भाषा में क्यों कानून पेश किये जाते हैं? इस भाषा में कानून पास करते हुए हमारे आदरणीय सदस्य और वकील बन्धु गौरव अनुभव करते हैं।

राजस्थान में पहले हिन्दी में ही काम होता था, कोर्ट के फैसले भी हिन्दी में ही होते थे और लोग इसमें गौरव का अनुभव करते थे। लेकिन अब विद्वान वकील इस चीज़ को नहीं लाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, इस संशोधन को जनमूलक नहीं तो राष्ट्र का गौरव समझ कर ही मान लिया जाय तो अच्छा हो। शब्दों की कमी नहीं है। नगरपालिका और नागरिक सभा दोनों ही शब्द उचित हो सकते है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से गौर करेंगे। यदि आप इसको मानेंगे तो आपको श्रेय मिलेगा, नहीं तो श्रेय किसी दूसरी प्रोविन्शियल गवर्नमेंन्ट को मिलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री सोहनलाल भटनागर—प्रश्न यह उठाया गया है कि दो तरह की म्युनिसिपेलिटीज़ होंगी; उनके अलग अलग क्या नाम होंगे? सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ को नगर निगम कह दिया जाय और कस्बों के लिये नगरपालिका शब्द काम में लाया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन, यह तो अनुवाद की बात है; उसमें नगरपालिका रखा जाय, या और कुछ रखा जाय। हिन्दी में जब अनुवाद होगा उस समय इस बात का ख्याल रखा जायगा। कानून अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी के शब्द ही रखने पड़ेंगें। अंग्रेजी भाषा को बिगाड़ना चाहते हों और नगरपालिका रखना चाहते हों तो यह दूसरी बात है।...

Page No.53

श्री भैरू सिंह—"लोक सभा" शब्द रख कर अंग्रेजी की तोहीन की गई होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूँ अंग्रेजी में जब कानून है तो उसमें अंग्रेजी के ही शब्द रहने चाहिये। हिन्दी के अनुवाद में आप कोई भी शब्द रखिये, मुझे ऐतराज नहीं होगा। इसलिये यह कहना कि हिन्दी भाषा नहीं अपनाई जा रही है या कहना कि हम अपनी राष्ट्र भाषा की तरक्की नहीं कर रहे है ऐसी बात नहीं है लेकिन कानून अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी के शब्द रखने पड़ेंगे। हिन्दी के शब्द रखेंगे तो म्युनिसिपेलिटी शब्द का प्रयोग बहुत जगह आया है तो जहां जहां यह अंग्रेजी शब्द है वहां वहां नगरपालिका करना पड़ेगा। मैं खुद चाहता हूं कि हिन्दी की उन्नति हो। हिन्दी में इसका अनुवाद हो रहा है उसमें उपयुक्त शब्द, रख दिया जायगा।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा वह हमें स्वीकार नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के स्थान पर नगरपालिका रखने के खिलाफ मंत्री महोदय ने कहा कि यह सब बिल अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में हिन्दी शब्द नहीं लिया जा सकता और हिन्दी में बहुत से शब्द भी नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय की जानकारी सही नहीं है। जिस तरह राज्य सभा शब्द कोंसिल ओफ स्टेट्स के लिए है, लोक सभा हाउस ओफ पीपुल के लिये है और ये नाम वहां हिन्दी के हैं; वे सब जगह काम में लिए जाते हैं और हिन्दी के इन नामों को अंग्रेजी में बने कानूनों में रखने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है और हिन्दी में शब्दों की कमी भी नहीं हैं; अतः म्युनिसिपैलिटी के स्थान पर नगरपालिका शब्द रखा जाय।

श्री भैरू सिंह (दांतारामगढ) – माननीय चैअरमैन, मुझे खुशी है कि मेरे इस संशोधन से सदन में जितने हिन्दी प्रेमी हैं उन्होंने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, किन्तु खेद के साथ कहना पडता है कि जिन मन्त्री महोदय से इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि अवश्य ही सदन का गौरव बढायेंगे कि हमने एक अंग्रेजी शब्द के स्थान पर हिन्दी का शब्द ढूंढ कर उपयुक्त तौर पर लगाया है उन्होंने बडी आसानी से बचने की कोशिश की, यह कह कर कि बिल अंग्रेजी में बना रहे हैं, अंग्रेजी में हिन्दी का शब्द लगाते हैं तो वहां अंग्रेजी भाषा की तौहीन होती है। यदि शब्द-परिवर्तन से तौहीन होती है तो यह तो मामूली तौहीन है। मैं तो यह कहता हूँ कि राष्ट्र भाषा के मुकाबिले में जिस तरह से भी अंग्रेजी भाषा की तौहीन करें उचित है। यदि राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय ऐसा बोलते हैं तो यह राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि कहलाने वाले मन्त्री महोदय के लिए शर्म की बात है।

बैंगलोर म्युनिसिपैलिटीज एक्ट पास किया गया है, मध्यभारत में म्युनिसिपैलिटीज एक्ट पास किया गया है और वहां इन कानूनों में जो कि अंग्रेजी में बने हैं उनमें भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के शब्दों को कानूनन स्वीकार किया गया है। म्युनिसिपैलिटी के स्थान पर नगरपालिका, विलेज पंचायत के लिए ग्राम सभा और तहसील पंचायत के लिये आंचलिक सभा इन शब्दों को कानून में स्वीकार किया गया है। नगरपालिका शब्द राष्ट्रभाषा हिन्दी का शब्द है इसलिये इसे लेने में हिचकिचाहट

[श्री भैरोंसिंह]

होती है तो यह उचित नहीं। लोक सभा का नाम पहले हाउस ओफ पीपुल था और राज्य सभा का नाम पहले कौंसिल ओफ स्टेट्स था; पर अब उनको लोक सभा और राज्य सभा के नाम से पुकारा जाता है और हर जगह इन हिन्दी के शब्दों को काम में लिया जाता है। इसी तरह सेंट्रल पार्लियामेंट है उसका नाम अब संसद रखा है। जब हमने इन अंग्रेजी शब्दों का रूपान्तर रखा है तो म्युनिसिपैलिटी के नाम पर अगर नगरपालिका शब्द रखा जाय तो इसमें क्या एतराज हो सकता है? जहां बहुवचन होगा वहां नगरपालिकाएं करनी पड़ेंगी, इसमें दिक्कत क्या है? कानून में इससे कोई अड़चन नहीं आने वाली है। इसलिए दुबारा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और सदन के माननीय सदस्यों से जो कि हिन्दी से प्रेम रखते हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और यदि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इस पोइन्ट को प्रेस करते समय माननीय सदस्य मेरी सहायता करेंगे।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मत सिंह)—प्रश्न यह है कि क्लाज (४) सब क्लॉज (१४) पर श्री भैरोंसिंह ने अमेंडमेंट रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, sir,

(ट्रेजरी बैंचेज़ की ओर से ध्वनि "Noes have it, sir")

श्री सभापति—Do you want division?

श्री भैरूंसिंह..हां साहब, इससे पता चल जायगा कि कौन कौन हिन्दी प्रेमी हैं।

(विभाजन घंटी एवं श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन रखा जाय?

श्री भैरोंसिंह—हां साहब, गिनती होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता?

[श्री अध्यक्ष]

(विरोधी दल की ओर से ध्वनि "हां पक्ष जीता साहब")

जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जायं।

(विरोधी दल के कुछ सदस्य खड़े हुए)

जो विरोध में हों वे खड़े हो जायं।

(राज्य पक्ष की ओर के सदस्य खड़े हुए)

ना पक्ष जीता, संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१४) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज (१४) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज [१५] से [२३]

[विराम]

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज [१५], [१६], [१७], [१८], (१९), (२०), (२१), (२२) व २३ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज (१५) से लेकर २३ स्वीकार किये गये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, इसमें एक अमेंडमेंट है।

श्री श्यामलाल गोयल—इसमें मेरा अमेंडमेंट है, पर मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—सब क्लॉज (२४) पर संशोधन है श्री चांदमल मेहता का।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस सब क्लॉज पर इस प्रकार है: "In

[श्री चांदमल मेहता]

(b) part: insert the following after the word 'which'—"with the consent express or implied of the owner of the land comprising the street." अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज (२४) का (बी) पार्ट इस प्रकार है :"which has heretofore been levelled, paved. metalled, channelled, sewered or repaired out of municipal or other public funds, or" इसका मतलब यह हुआ कि म्युनिसिपैलिटी के फंड से या किसी और पब्लिक फंड से किसी रास्ते को तैयार करवा दिया, लेवल करवा दिया, मेटल करवा दिया जाय तो वह पब्लिक स्ट्रीट मान लिया जायगा। ऐसा मौका आ सकता है कि जब किसी की कोई जमीन हो और उसमें से होकर रास्ता निकालना है और उस वजह से लेवल करा लिया तो वह 'पब्लिक स्ट्रीट' मान लिया जावेगा। तो ऐसी हालत में जान-बूझ कर ऐसा किया जा सकता है और लेवल में ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस तरह से कोई भी ऐसा करा कर कह सकता है कि यह पब्लिक स्ट्रीट है! इसलिये मैंने जो शब्द रखे हैं कि जो मालिक जमीन का हो उसकी राय या कोन्सेन्ट ली जानी चाहिये। मैं यह उम्मीद करूंगा कि यह एक ऐसा संशोधन है जो बहुत ही जरूरी है और सरकार इसको जरूर स्वीकार करेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता और मैं यह कहना चाहता हूं कि (ए) और (बी) दोनों कम्बाइन्ड होने चाहिये और 'ओर' के बजाय 'एण्ड' होना चाहिये। (ए) और (बी) कम्बाइन्ड होकर यह इस प्रकार हो जावेगा :"Over which the public have a right of way or which has heretofore been levelled, paved, metalled, channelled, sewered or repaird out of municipal or other public funds." इसके माने यह हैं कि जहां पर पब्लिक को पब्लिक वे ऑफ राइट है और पब्लिक के पैसे से लेवल किया जावे न कि प्राइवेट व्यक्ति से; अगर इसको अलग रखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन होगा और दोनों को मिला देने से पब्लिक को राइट होगा और किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा! (ए) और (बी) दोनों को अलग रखने से गल्ती हो सकती है, इसलिए इसको और कम्बाइन्ड कर दिया जावे और 'ओर' की जगह 'एन्ड' कर दिया जावे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इसमें माननीय मित्र ने संशोधन रखा है और उसके बाद विरोधी दल के नेता ने जो बात बताई है उस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि, 'Public street' means any street over which the public have a right of way, or which has heretofore been levelled, paved, metalled, channelled, sewered or repaired..." अगर यहां पर जैसा सजेस्ट किया गया है कि और को हटा कर 'एन्ड' जोड़ दिया जावे "Over which the public have a right of way and which has heretofore been levelled, metalled..."; तो इसका मतलब यह निकलेगा कि पब्लिक को अगर राइट ओफ वे है तो भी वह पब्लिक स्ट्रीट नहीं मानी जावेगी जब तक दूसरी शर्तें भी पूरी न हो जावें और दूसरी शर्तें पूरी होने के साथ साथ paved, metalled, repaired यह पब्लिक फंड से न हो जावे।

Page No.57

[श्री गोपीलाल यादव]

इसलिये ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहली तो बिल्कुल क्लियर है "over which the public have a right of way" दूसरी "which has heretofore been levelled, paved, metalled..." जिसमें पब्लिक को राइट ऑफ वे नहीं रहा है लेकिन उसके ओनर ने म्युनिसिपल सेन्टर को इजाज़त दे दी है 'to be metalled, paved, levelled, etc with the consent of the owner" लेकिन जैसा मेरे माननीय मित्र ने बताया उसका मतलब यह होता है, जैसा दूसरे में है "which has heretofore been levelled, paved..." नकि पहले में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "legally which has been heretosfore levelled, paved, metalled" कर दिया। इसके माने यह होंगे कि बहुत अर्से से यानि १०-१५ वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है, from times immemorial this has been and is being levelled, metalled etc. यह स्थिति है। इसलिए मैं मेरे माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, पहला तो यह है "over which the public have a right of way" यह अमेंडमेंट मंजूर कर लिया जावे तो इससे पब्लिक के राइट्स जितने भी हैं अगर इसमें 'एन्ड' जोड़ देते हैं तो "levelled, paved, metalled, channelled वे सब अब तक एक्रयू हो जावेंगे। मानलें कि एक काम किया। सैकड़ों कारणों से पब्लिक स्ट्रीट बनती है। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट करने से ज्यादा गडबड़ी हो जावेगी, over which the municipality has done all such things, यह पब्लिक स्ट्रीट बन जावे।

कुं श्री जसवन्तसिंह—इससे आपको हैरानी और गड़बड़ी क्या होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस बात को साबित करने की कि लेवल डाली है, पब्लिक स्ट्रीट है। और अभी जो माननीय सदस्य ने लेंग्वेज रखी है उससे असुविधा हो जाती है : There are so many other cities where this has not been done. यह पहले से है, किस जमीन का है; इसमें पब्लिक को बहुत तकलीफ होगी। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.58

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२४) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२४) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (२५)

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२५) स्वीकार किया जायं।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ सब (२५) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब लॉज़ (२६) श्री भैंरूसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२६) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२६) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (२६ ए.)

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२६ ए.) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२६ ए.)स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

सब क्लॉजेज़ (२७) से (३०)

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉजेज़ (२७), (२८), (२९) और (३०) स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

उपरोक्त सब क्लॉजेज़ स्वीकार किये ।

सब क्लॉज़ ३१, श्री श्यामलाल गोयल ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ४ सब क्लॉज़ (३१) में होल नम्बर और टोटल नम्बर की व्याख्या की गई है वह इस तरह है :

"Whole number or ttotal number when used with reference to the members of the board means total number of members holding office at the time irrespective of any vacancies then on the Board" इस धारा का जहां तक मैं मतलब समझ सका हूं वह यह कि किसी टोटल नंबर के लिये जहां २ भी इस एक्ट में व्यवस्था की गई है वहां पर होल नंबर या टोटल नंबर का क्या मतलब समझा जावेगा, इसके लिये व्याख्या की है । इसके लिये दो बातें जरूरी हैं: एक तो यह कि " holding office at the time" दूसरी यह रखी गई है कि " irrespective of any vacancies then at the time "

मैं ऐसा मानता हूं कि ये दोनों जो है वे एक दूसरे से Contradictory है । अगर बोर्ड में किसी वक्त वेकेन्सी है तो जो मेम्बर उस वक्त वहां पर नहीं है, या जिनकी सीट्स वेकेन्ट हैं वह तो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं । तो इसलिये जहां इसमें यह लिख दिया है कि : " Means the total number of members holding office at the time " इसमें बाई इट सेल्फ इम्प्लीकेशन आ गया, जो सीट्स वेकेन्ट हैं वे मेम्बर्स उस वक्त हो ही नहीं सकते है। इसके होने से और मतलब निकाला जा सकता है और इसको साफ करने के लिये कि अगर कोई वेकेन्सीज़ हैं उनको नहीं गिना जायगा । मैंने यह संशोधन दिया है उसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आयन्दा चल कर जो प्रोविजन्स किये हैं कि कोई मेम्बर दो या चार मीटिंग्स में हाजिर न हों तो उनका नाम रद्द कर दिया जायगा, मेम्बर्स नहीं गिने जावेंगे, या आते नहीं है तो मेम्बर नहीं गिने जावेंगे क्योंकि बाज वक्त मेम्बर्स होते हैं, लेकिन मीटिंग में आते नहीं है, दो चार मीटिंग्स में नहीं आये तो नहीं गिने जावेंगे । राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटी बिल में भी "irrespective of the vacancies then on the Board " ये शब्द नहीं थे । मेरा संशोधन यह है कि "Irrespective of any vacancies than on the Board" अगर इसको इसमें से डिलीट कर दिया जायगा तो मतलब साफ हो जायगा ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, जिन शब्दों के डिलीट किये जाने का सवाल है उनको अगर चेप्टर ३ के, ५२ (२ बी), ५२ (२ ए), ५२ (७) जो प्रोविजो के नीचे हैं, उनके रेफरेन्स से अगर पढ़ा जाय तो मालूम हो जायगा। तो जो शब्द काटे जाने के लिए कहा जाता है वे तो केवल इसी डेफिनेशन को क्लेरिफाई करते है। स्पष्टतौर पर इसके क्या माने है? यह जो बात है वह अनावश्यक नहीं है, बल्कि इतना ही पर्पज़ सर्व करती है कि उसका होल नम्बर के माने किसी समय गलत न समझा जाय; जैसे कि क्लॉज़ ५२ के सब क्लॉज़ २ (बी) में है कि ' or one third of the whole number of members may call such meeting" तो होल नम्बर का अभिप्राय यही है कि इसके लिए एक म्युनिसिपेलिटी में यदि २१ सदस्य होने चाहिये तो ७ सदस्यों की कमी पर ऐसी मिटिंग बुलाने की दरख्वास्त नहीं कर सकते। २१ में से यदि एक कम है तो दूसरी बात है, लेकिन सात तो होने ही चाहिये। ऐसी बातों को क्लीयर करने के लिए इसकी डेफिनेशन में ये शब्द जोड़े गये हैं। इस सम्बन्ध में दफा ५२ (७) है जिसमें इस बात को क्लीयर किया है। उससे यह बात क्लीयर हो जाती है कि " If less than one third of the whole number of members be present at a meeting at any time from the beginning to the end thereof ....

तो होल नंबर का अभिप्राय है वह भी यही है। यदि २१ सदस्य हैं तो १।३,७ होने ही चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इन शब्दों को इस डेफिनेशन में रहना ही चाहिए, यही इसका अभिप्राय होता है न कि इसके काट देने से अभिप्राय बनता है।

श्री गोपीलाल यादव—यह तो इसका अभिप्राय नहीं बैठता, जो आपने किया है।

" The whole number or total number, when used with reference to the members of a board, means the total number of members holding office at the time, irrespective of the vacancies then on the board. ',

मेरे काबिल मित्र ने ५२. ए. बी. के अन्दर चीजें बतायीं उनका मतलब यह है कि वेकेन्सीज़ की परवाह न करते हुए टोटल नम्बर १।३ या १।६ होना चाहिए। जैसे २० मेम्बर हैं और चार वेकेन्सीज़ हैं तो चार की परवाह नहीं करते हुए बीस की की परवाह करनी चाहिए। यह है मेरे काबिल दोस्त का मतलब। इस क्लॉज का मतलब यह है कि २० मेम्बर हैं और यदि चार गैर हाजिर हैं तो १६ का २/३ माना जायगा। यह जिस शक्ल में क्लाज बनाया गया है उसका मतलब है कि चाहे जितनी सीट्स वेकेन्ट हों उसकी परवाह नहीं करनी है। जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उन्हीं का टोटल नम्बर माना जायगा। ऑफिस होल्ड नही कर रहे हैं, जो जिन्दा हैं, हटे नही हैं, वेकेन्सीज़ हैं, नहीं माना जायगा। इसलिए इसका साफ मतलब यही है कि टोटल नम्बर चाहे ४० हो, लेकिन अगर उसमें दस वेकेन्सीज़ हैं तो ३० आदमी जो मौजूद हैं और उस टाइम पर ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उन ३० आदमियों का ही टोटल नम्बर माना जाएगा और उस हिसाब से सारी चीजें की जावेंगीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इसमें टोटल नम्बर क्या शुमार किया जायगा, यह डिजाइन किया गया है। इसमें दो बातें हैं कि अगर बोर्ड में कुछ स्थान रिक्त हैं तो सिलेक्ट कमेटी की यह मंशा थी कि उन रिक्त स्थानों को टोटल नम्बर में कोट नहीं किया जाय। इसमें डबल एम्फेसिस की बात है, और कोई गड़बड़ नहीं है।

"Number of members holding office then at the time"

जो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं

"Irrespective of any vacancies then on the Board."

तो इस तरह से डबल एम्फेसिस हो जाता है। २५ स्थानों में से २० होल्ड करते हैं, ५ रिक्त हैं। लैंगवेज का एम्फेसिस हैं। "Irrespective of any vacancies then on the Board." निकाल दिया जाय। मैं इस अमेन्डमेन्ट को एक्सेप्ट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल।

(विराम)

अनुपस्थित।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये हैं साहब।

श्री श्यामलाल गोयल—He has accepted my amendment.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री श्यामलाल गोयल का संशोधन स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (३१) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (३१) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ पूरा का पूरा संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५, श्री कासलीवाल का एक अमेंडमेंट है।

श्री कासलीवाल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—There is one amendmet which I believe is Government sponsored, being moved by Shri Gulab Chand Kasliwal. If the Hon'ble Members have any objection it will be circulated. Otherwise......

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—It should be circulated.

श्री अध्यक्ष—All right. Clause 5. Shri Chand Mal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरे दो अमेंडमेंट्स है। पहला मैं मूव नहीं करना चाहता। दूसरा अमेंडमेंट है, " Cancel any notification under any of the preceding clauses " यह मैं मूव करना चाहता हूं।

क्लॉज़ ५ में उन बातों की चर्चा की गई है कि जिनके बारे में गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। गवर्नमेंट को ये भी पॉवर्स रहे कि वह नोटिफिकेशन को जारी कर सकती है तो उसको केन्सल भी कर सकती है। यह एक साधारणसा अमेंडमेंट है। यदि मंशा हो तो इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—मैं मूव करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के सबक्लॉज़ (ई) में मेरा संशोधन है। "Substitute the word 'Board' for the word 'Collector' and delete the words "or any officer authorised by him in this behalf."

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा ५ की उपधारा (३) में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार अगर किन्हीं म्युनिसिपल लिमिट्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करें, पुरानी म्युनिसिपैलिटी या किसी नई म्युनिसिपैलिटी को कोन्स्टीट्यूट करें उस सूरत में उस नई म्युनिसिपैलिटी की लिमिट्स वह मुकर्रर करे। उसमें सरकार इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) के अनुसार गजट में पब्लिश करायेगी। उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जो कुछ लिमिट्स के बारे में जो निशान सरकार तय करती है उन निशानों को स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन द्वारा शाया करायेगी। अब केवल काम यह रहेगा कि जिस जगह म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स को प्रेसक्राइब किया है उन लिमिट्स में किसी प्रकार का हेर-फेर किया हो। उस हेर-फेर को जो नये रूप से लिमिट निर्धारित करने का काम है, उस काम को कार्य रूप में लेने के लिये जो कुछ निशानात वगैरह बनाये जायेंगे वे किस प्रकार के होंगे, किसकी आज्ञा से बनाये जायेंगे। इस उपधारा के अनुसार उसकी व्यवस्था की गई है। जो कुछ भी इस प्रकार के निशान बनाये जायेंगे वे निशान कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के एप्रूवल के बाद में निशान बनाये जायेंगे। अब सवाल यह आता है कि जहां म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार देते हैं कि वह अपने शहर के सारे लिमिट्स की सफाई का प्रबन्ध, उस म्युनिसिपल बोर्ड का जितना भी एरिया है उस एरिया के अन्दर, उस एरिया की सारी लिमिट्स की सफाई करने का सम्बन्ध तथा और भी कई काम वह अपनी इच्छा से कर सकता है और सरकार केवल यह काम करे कि लिमिट्स को डिफाइन करेगी। वह ढंग निर्धारित करने का काम कलेक्टर के पास न होकर म्युनिसिपल बोर्ड को होना चाहिये। इसमें कारण यह है कि एक शहर का यदि कोई विषय हो तो कलेक्टर की राय महत्वपूर्ण हो सकती है। कलेक्टर को यदि किसी भी बारे में जानकारी हो सकती है तो वह अपने नीचे के अधिकारियों द्वारा हो सकती है। मेरा कहना है कि कलेक्टर वगैरह को जो कुछ भी जानकारी होती है वह सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रहती है। सरकार के अधिकारी यहां हर कस्बे के अन्दर छोटे छोटे पटवारी, पटवारी से ऊपर गिरदावर, तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर कोई मजिस्ट्रेट हो तो उन्हीं लोगों की सूचना के अनुसार कलेक्टर की रिपोर्ट आधारित रहती है। वैसी सूरत में बाउन्ड्री मार्क्स फिक्स करने का काम कलेक्टर की इच्छानुसार करते हैं। तो वह जब उन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उन बाउन्ड्री मार्क्स को करते हैं और उसको म्युनिसिपल बोर्ड अनावश्यक समझता है तो वैसी सूरत में कलेक्टर की राय को आखिरी मानने की आवश्यकता नहीं, उसके एप्रूवल को आवश्यकता नहीं। जहां पुराने म्युनिसिपल बोर्ड हैं उसकी लिमिट्स के अन्दर अगर हेर फेर होता है, बाउन्ड्री मार्क्स के सिलेक्ट करने का काम कलेक्टर की इच्छानुसार न होकर यह अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को दिये जाने चाहिये, कि वह अपनी इच्छानुसार ठीक समझे बाउन्ड्री मार्क्स में हेर फेर करे। इसलिए मेरा संशोधन यह है कि कलेक्टर के स्थान पर बोर्ड रख देना चाहिये "Or any officer authorised by him in this behalf"; मान लीजिये कलेक्टर ने किसी पटवारी या तहसीलदार को एप्रूवल का आदेश दे दिया, एक तरफ तो म्युनिसिपल बोर्ड कार्य करता है, दूसरी तरफ यह होगा जो कुछ पटवारी या गिरदावर कहेगा उसे मान्यता प्रदान होगी। वैसी सूरत में म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारों की रक्षा के लिए म्युनिसिपैलिटी के सदस्य जो

[श्री भैरोंसिंह]

कुछ राय बनाते हैं। उस राय की कद्र करते हुए तहसीलदार पटवारी की राय के सामने उनकी राय समाप्त न हो, ऐसा मेरा संशोधन है। कोई म्युनिसिपल बोर्ड जो कुछ फैसला देता है उसके फैसले की कद्र करते हुये जिस तरह म्युनिसपल बोर्ड समझे बाउन्ड्री मार्क्स बनाये, यह उसी पर छोड़ देना चाहिये।

इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (६) में मेरा संशोधन है वह संशोधन इस प्रकार है:—

"Delete the words 'portion of the Municipal fund and properties or' appearing in the last two lines"

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज (६) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार की किसी आज्ञा से एक म्युनिसिपैलिटी के किसी हिस्से को दूसरी म्युनिसिपैलिटी में शामिल करते हैं तो जिस हिस्से को दूसरी म्युनिसिपैलिटी में शामिल किया जाता है उस हिस्से का जितना भी धन है चाहे वह केश के रूप में हो या किसी अन्य रूप में प्रोपर्टी के रूप में, उस हिस्से का जितना भी सारा धन हो वह जिस म्युनिसिपल बोर्ड में शामिल हो रहा है उसी में वह भी शामिल कर दिया जाय। अगर सरकार की निगाह में इस प्रकार के धन परिवर्तन करने में अड़चन पैदा होती है, वहां डिस्क्रीशन सरकार का रखा गया है। वह चाहे तो उस धन को उसी पहले वाले बोर्ड में रखवा सकती है या जिसमें मिल रहा है वह हिस्सा उसे दिलवा सकती है। मेरे खयाल से इस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता नहीं। हमें एक सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये। वे यह सिद्धांत किसी भी म्युनिसिपैलिटी के किसी भी हिस्से को यदि दूसरे म्युनिसिपैलिटी में मिलाते हैं उस हिस्से के साथ ओटोमेटिकली वे सारी चीजें चली जानी चाहिये। वह ओटोमेटिकली दूसरे को ट्रान्सफर कर दी जायंगी। केवल यह कह कर कि सरकार की निगाहों में यह अड़चन पैदा करने वाली चीज है उपयुक्त नहीं। हम एक हिस्से को किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड में शामिल करें उसके साथ उसका धन या प्रोपर्टी शामिल नहीं करें तो यह उचित नहीं माना जा सकता। अगर नहीं करते हैं तो इसके दो कारण हैं, या तो वह धन सरकार के पास रहेगा। अगर सरकार के पास नहीं रहता है तो जिस हिस्से का पैसा इकट्ठा किया गया है उस हिस्से का काम उस पैसे से उस म्युनिसिपल बोर्ड में होगा जिस हिस्से का अब उस म्युनिसिपल बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं। वैसी सूरत में यह आवश्यक होता है कि जिन लोगों से पैसा इकट्ठा करें उन्हीं लोगों के लिये उसे खर्च किया जाना चाहिये। मान लीजिये एक मोहल्ले को निकाल कर आपने दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन कर दिया, उस मोहल्ले से दस हजार रुपये जो इकट्ठे हुए, हैं वहां पर गटर की व्यवस्था की जाय या बिजली की व्यवस्था की जाय या सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा इकट्ठा किया हुआ हो जब उस हिस्से को दूसरे म्युनिसिपैलिटी में शामिल करते हैं तो सरकार के पास अगर इस प्रकार के अधिकार रहें, उसका नतीजा यह होगा कि सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को और उसके मेम्बर्स को यह कहेगी कि इस सम्बन्ध में आप हमारे से लिखा-पढ़ी करो, हमारे पास प्रार्थना

[श्री भैंरोंसिंह]

पत्र भेजो। हम यदि आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो दस हजार रुपया जो मरम्मत आदि के लिये इकट्ठा कर रखा है वह मिल सकता है। इस प्रकार के डिस्क्रिशन के पॉवर्स सरकार के पास होने से वह इसका दुरूपयोग कर सकती है। मैं नहीं कह सकता कि मौजूदा मंत्री महोदय के समय में इसका दुरूपयोग होगा या नहीं लेकिन इनसे पूर्व जिन्होंने इस काम को किया अच्छी तरह से दुरुपयोग हुआ है। उससे सारा सदन व माननीय मंत्री स्वयं अब अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। इसलिये जो इलाका दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में तबादला होकर जाता है बिना किसी के कहे वह सारा धन, प्रोपर्टी उसी के साथ उस बोर्ड को मिल जानी चाहिये।

इसी क्लॉज के सब क्लाज (७) में एक संशोधन और है। "Insert the words 'and the population of that area is less than that of a Municipality' between the words 'municipality' and 'all rules' in the first line."

सब क्लॉज (७) के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह के इलाके दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में शामिल होते हैं, जब उस हिस्से की प्रोपर्टी या धन का प्रश्न आये तो वह सब क्लाज (६) के अनुसार सोचना होगा। उस हिस्से पर जो शामिल हुआ है उस हिस्से पर यही कानून लागू होंगे, जिस हिस्से में शामिल किया गया है उसमें लागू है। इसमें किसी को मत भेद नहीं हो सकता और न होना भी चाहिये। लेकिन जिस म्युनिसिपल बोर्ड में हम उस हिस्से को शामिल कर रहे हैं उसकी आबादी, जो इलाका हम शामिल कर रहे हैं उसकी आबादी ज्यादा है तो ऐसी हालत में उस कम आबादी वाले हिस्से में जो भी कानून कायदे लागू होंगे वे उस आबादी के हिसाब से लागू होंगे, वे सारे के सारे नियम उस ज्यादा आबादी वाले हिस्से पर भी लागू होंगे। कानून बनते हैं, बाई लॉज बनते हैं, नियम कई तरह के सरकार द्वारा बनते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड भी बनाता है जहां जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसके मुताबिक बनाये जाते हैं, इससे मुमकिन हो कि जिस इलाके को दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में शामिल कर रहे हैं उस हिस्से में ऐसी परिस्थितियां नहीं जिन परिस्थितियों के कारण जिस म्युनिसिपल बोर्ड के उस हिस्से को दूसरे में शामिल कर रहे हैं वह कानून उस हिस्से के लिये उपयोगी साबित न हो। इसलिये यह आवश्यक है कि जिस जगह का बहुमत हो, जिसकी आबादी ज्यादा हो, अगर उस ज्यादा आबादी वाले हिस्से को कम आबादी वाली में मिलाया जाता है तो काफी असुविधायें होंगीं।

इसलिये मैंने एक सब क्लॉज़ जोड़ने का और संशोधन प्रस्तुत किया है और वह सब क्लॉज है (७ ए)

" Add the following new sub-clause as (7 A):—

'When any local area is included in a municipality and the population of that area is more than that of a municipality all rules and byelaws made, orders,

Page No.66

[श्री भैरोंसिंह]

directions, and notices, issued and powers conferred and in force throughou such area shall apply thereto unless the State Government otherwise directs, form the date of such inclusion". तो सब क्लॉज़ ७ में यह व्यवस्था है। जिसमें मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। उससे यह होगा कि जिस म्युनिसिपेलिटी में हम जिस दूसरे एरिया को शामिल कर रहे हैं वह अगर आबादी के लिहाज से उस म्युनिसिपेलिटी से जिसमें वह मिलाया जा रहा हैं, ज्यादा है तो आबादी जिस इलाके की ज्यादा है उसके कानून वहां लागू होंगे और सब क्लॉज़ (७ ए) जो मैंने बताया है। यदि उसमें कम है जो सब क्लॉज़ (७ ए) नया निर्माण करने के बारे में मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। जो इलाका किसी म्युनिसिपैलिटी में शामिल किया जाता है और उसकी आबादी जिसमें वह शामिल किया जा रहा है उससे ज्यादा है तो उसके जितने भी सारे कानून हैं उस म्युनिसिपैलिटी पर भी लागू होंगे।

सब क्लॉज़ (६) में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसके कारण से यह नया संशोधन जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बहुमत का यदि कोई कानून है, ज्यादा लोगों का बनाया हुआ कानून है वह अगर कम लोगों पर लागू होता है तो यह उचित कहा जा सकता है पर कम आदमियों के लिए बनाया हुआ कानून ज्यादा पर लागू अगर किया जाता है तो इससे ज्यादा असुविधा होगी। तो इस सारी असुविधा को समाप्त करने के लिये यह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल--मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता, पर जो संशोधन दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। उन्होंने जो संशोधन पेश किये हैं उनमें पहला संशोधन क्लॉज़ ५ की उपखंड (३) में है और अपने संशोधन के जरिये वे यह चाहते हैं कि अधिकार कलेक्टर को दिये जाने के बजाय बोर्ड को दिये जाने चाहिये, बाउन्ड्री मार्क्स को एप्रूव करने का।

इसमें मेरा अर्ज करना यह है कि यह होने से आइन्दा चलकर झगड़ा ही होगा। अभी हम राजस्थान पंचायत एक्ट पास कर चुके हैं और पंचायतों की अपने क्षेत्र की सीमाएं होंगीं उन्हीं से लगे म्युनिसिपेलिटी के क्षेत्र होंगे, उनकी भी सीमाएं होंगीं। अब जहां तक सीमाओं का निर्माण का सम्बन्ध है वह तो सरकार करेगी। सरकार के करने के बाद पत्थर गाड़ने का सवाल आता है तो इसमें बहुत से प्रश्न पैदा हो सकते हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी में और दुसरी म्यूनिसिपैलिटी में, एक म्यूनिसिपैलिटी में और दूसरी पंचायत में। वे सभी कह सकते हैं कि यह हमारी सीमा है, उसको दूसरा कह सकता है यह हमारी सीमा है। तो ऐसे झगडों के पैदा होने पर जब तक तीसरी ऑथोरिटी

[श्री श्यामलाल गोयल]

न हो तब तक झगडा समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसका अधिकार म्यूनिसिपैलिटी या बोर्ड को देने से एक पार्टी को ही फैसले का अधिकार देने के समान होगा और आगे चलकर इनके झगड़े आपस में नहीं सुलटने की स्थिति में कलेक्टर के पास जाना ही है तो जिनके पास झगड़े की सूरत में आइन्दा जाना है उनको पहले से ही अधिकार दे दिया जावे तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उन्होंने इस सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह उपयुक्त नहीं है।

दूसरा संशोधन उन्होंने सब क्लॉज़ (६) में रक्खा है। सब क्लॉज़ (६) है उस सिलसिले में जबकि कोई एक लोकल एरिया म्युनिसिपेलिटी से हट जावे और दूसरे में शामिल हो जावे; इसके लिए व्यवस्था ऐसी की गई है जो हिस्सा एक म्युनिसिपेलिटी से दूसरी म्युनिसिपेलिटी में जावेगा तो जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ उस हिस्से की हैं वे दूसरे हिस्से में जाने वाले को दे दी जावेंगी। पर साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी खास वजह के होने से या किन्ही सरकम्सटेन्सेज़ के अराइज़ (arise) होने से अगर सरकार यह सोचे कि इन असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रान्सफर न किया जावे तो न करे। पर जो संशोधन रखा गया है उसके अनुसार "Transfer of any portion of municipal fund or property.' इनको डिलीट कर दिया जावे और लाइबिलिटी को बदस्तूर रक्खा जावे; यह वैसे ही गलत है और मैं ऐसे केसेज़ Visualise कर सकता हूं कि एक म्युनिसिपेलिटी के दूसरी म्युनिसिपेलिटी में जाते हैं। जो हिस्से जाने वाले हैं उसकी लाइबिलिटी और असेट्स दोनों करीब करीब बराबर हैं। या उनके उधर से उधर ट्रान्सफर करने में इतना ज्यादा खर्चा हो कि कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही स्पेशल केस के लिए सरकार ने अधिकार हाथ में लिये थे, वरना कोई जरूरत नहीं; वरना जनरल रूल तो यह है कि जो जितनी उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं वे दूसरे के हिस्से में दे दिये जाते हैं। तो मैं यह जो सब क्लॉज़ (६) में संशोधन दिया है उसको अनावश्यक समझता हूं।

तीसरा संशोधन जो उन्होंने किया है वह बहुमत के आधार पर किया है कि अगर कोई हिस्सा म्युनिसिपेलिटी में आये और आने वाले हिस्से की आबादी उससे ज्यादा है तो जो कानून आने वाले हिस्से में पहले थे वे रायज़ होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर जिस म्युनिसिपेलिटी में जो हिस्सा आता है तो उन पर भी वे ही कानून लागू होंगे जो उस म्युनिसिपेलिटी में दूसरे हिस्से से आने से पहले लागू थे। हमारे इस एक्ट में आगे चलकर व्यवस्था की हुई है कि दो या दो से ज्यादा विलेजेज़ को भी म्युनिसिपेलिटी बनाया जा सकता है और उनमें जो मिलने वाला हिस्सा है, पंचायत बोर्ड के गांव हैं और ऐसे दो तीन गांवों की आबादी जो अपने पहले की म्युनिसिपेलिटी में मिलते हैं उनकी आबादी उस म्युनिसिपेलिटी से ज्यादा हो सकती है। उस केस में अगर मेरे माननीय मित्र का कहना मान लिया जावे तो नतीजा यह होगा कि पंचायत एक्ट के तहत में रूल्स और रेगूलेशन उस पर लागू किये जावें। मैं समझता हूं कि ऐसी मंशा उनकी नहीं हो सकती कभी भी। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और जिस हालत में यह सब क्लॉज़

Page No.68

[श्री श्यमलाल गोयल]

है वह उसी हालत में रक्खी जानी चाहिये और जो वजूहात बताकर सब क्लॉज़ (७ ए) नया बढ़ाये जाने की बात कही है वह भी नहीं मन्जूर किया जाना चाहिए।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से, परबतसर से, आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं।

इस क्लॉज़ में सरकार के किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपेलिटी बनाने का भी अधिकार दिया है, फिर उसकी लिमिट्स डिटरमिन करने का अधिकार दिया है। पर कुछ नया एरिया उसमें इन्क्लूड कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया जावे तो यह भी अधिकार दिया है; अथवा और किसी दूसरे रूप से म्युनिसिपल लिमिट में तब्दीली करने का भी अधिकार दिया है और अन्त में यह भी अधिकार दिया है कि जिस दिन से चाहे यह घोषणा कर दे कि अमुक एरिया अब म्युनिसिपेलिटी में नहीं रहा। इतने सब अधिकारों की पाबन्दी के साथ साथ एक और अधिकार देना चाहते हैं कि पहले जो नोटिफिकेशन निकाल दिया उसको केन्सिल करने का अधिकार देना चाहिये और यह आखिरी जो अधिकार हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह एक लास्ट स्ट्रा ओन दी केमल्स बेक हो जायगा, क्योंकि यदि आपका नोटिफिकेशन सुपरसीड हो तो समझ में आ सकता है और नोटिफिकेशन करने के बाद सुपरसेशन ऑफ दी प्रिवियस नोटिफिकेशन से एक नई लिमिट डिफाइन होगी, तो उस दिन से वह लागू हो जायगा। यदि म्युनिसिपेलिटीज़ को सीज्ड टू बी म्युनिसिपेलिटीज़ की घोषणा करनी होगी तो वह लागू हो जायगा। लेकिन मेरे माननीय मित्र तो यह चाहते हैं कि नोटिफिकेशन निकाले हुए को केन्सिल करने का अधिकार दिया जाय। सन् १९५३ में एक ऑर्डर से एक एरिया को म्युनिसिपेलिटी डिक्लेयर किया और सन् १९५५ में आप घोषणा करते हैं कि हमने गलती की उस वक्त वह डिक्लेयर्ड नहीं मानी जाय; तो इससे उस म्युनिसिपेलिटी के सब लोग अधर में पड़े रह जायेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन तो केन्सिल हो जायगा, लेकिन बाकी की कार्यवाही का क्या होगा? इसलिए मेरी दरख्वास्त हैं कि ऐसा लास्ट स्ट्रा डालने वाला अधिकार न दिया जाय। उनके संशोधन से पुराने नोटिफिकेशन के रद्द करने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह होगा कि सारी की सारी क्लॉज़ डिफरेन्ट हो जायगी। वैसा अधिकार देना न आवश्यक हैं और न काम का है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूँ। वैसे तो उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र के वे रहने वाले हैं इज्जत आबरू सरकार के पास है, इस डर से कहीं मंजूर न कर लें; इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुवा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मंत्री):—माननीय उपाध्यक्ष जी, परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य का जो एमेन्डमेंट है उसके सम्बन्ध में इस कारण से नहीं कि जो कारण हमारे जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने अभी बताये हैं, बल्कि दूसरे कारण से स्वीकार

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

नहीं करना चाहता हूं । और वह कारण यह है कि जो नया नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें पुराने के केन्सिल करने का अधिकार तो इन्हेरेंट है । Under the General Clauses Act a notification issued can always be cancelled.

इसलिए उन पॉवर्स को देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—In this particular case it is redundant. It is never exercised and cannot be exercised.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री):—(जारी) इसलिए यह आवश्यक है कि वे इसको वापिस ले लें ।

इसके अलावा जो एमेन्डमेंट रखे गये हैं सब क्लॉज़ ३ में दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य द्वारा । मैं समझता हूं कि 'कलेक्टर' शब्द आवश्यक है, क्योंकि बाउन्ड्री फिक्स करने का कार्य वह करे क्योंकि पंचायतों में और म्युनिसिपेलिटीज़ में झगड़ा हो तो बाउन्ड्री पिलर्स कलेक्टर जाकर अपने सामने लगवा दे । बोर्ड को अधिकार देंगे तो वह मामला खत्म नहीं होगा, इसलिए 'बोर्ड' शब्द रखना उपयुक्त नहीं है । यह कोई ज्यादा उसूल की बात नहीं है । बाद में झगड़ा हो, किसी जगह पर मार्क्स रखने हों तो उस वक्त कलेक्टर कह देगा कि यह रख दो या अपने तहसीलदार या एस० डी० ओ० को भेज देगा । इसलिए यह प्रोवीजन रखा गया है । नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट करेगी ही ।

इसके अलावा और एमेन्डमेंट रखे हैं सब क्लॉज (६) और (७) में मैं समझता हूं कि यह भी अनावश्यक हैं । एक नई क्लॉज़ जोडने के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें (७ ए) में नये एरिया में पोपुलेशन अगर कम है और अगर दूसरे नये एरिया में उसकी आबादी ज्यादा है तो नया एरिया आ जायेगा । यह जो क्लॉज़ है ७ उसका मतलब स्पष्ट है कि अगर कोई लोकल एरिया म्युनिसिपेलिटी में शामिल हो तो लोकल एरिया का मतलब यह है कि वहां पहले से ही म्युनिसिपेलिटी मौजूद है । वह तो कोई ऐसा एरिया हो कि जहां म्युनिसिपेलिटी नहीं है । यह बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई एरिया म्युनिसिपेलिटी में आ गया तो वही कानून ऐप्लाई करेगा । यह जो दो एमेन्डमेंट रखे हैं तो दोनों की मन्शा साफ है । सब क्लॉज ७ में दोनों बात शामिल हैं । अगर एरिया कम है या अगर एरिया ज्यादा है "it is understood there, where any area is included, whether it is bigger in size or less in size."

अगर म्युनिसिपेलिटी में शामिल होगा तो म्युनिसिपेलिटी का कानून लागू होगा । वर्ना पोजीशन एनोमलस हो जायगी । पंचायत एरिया में शामिल होता है तो पंचायत कानून एप्लाई करेगा because we are now making a law for the Municipalities and not for the Panchayats or other local bodies.

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उस संशोधन को आप देखें तो यह अधिकार नहीं है; एक म्युनिसिपेलिटी एरिया दूसरे म्युनिसिपेलिटी के एरिया में शामिल किया जाता है, केवल उसी पर लागू होता है। म्युनिसिपल एरिया को ही शामिल करने की बात नहीं है, लोकल एरिया को शामिल करने की बात है। म्युनिसिपल एरिया को म्युनिसिपल एरिया में शामिल करने की बात नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह दोनों जो एमेन्डमेंट रखे गये हैं वे आवश्यक हैं।

सब क्लॉज़ (६) में आप केवल लाएबिलिटीज़ ही चाहते हैं कि लाएबिलिटीज़ को ह डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, लेकिन म्युनिसिपेलिटी के जो फन्डस होते हैं वे भी इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इसलिए यह भी अनावश्यक है।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **भैरूंसिंह** (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में चार संशोधन प्रस्तुत किये थे। पहला संशोधन था कि बाउन्ड्री मार्क्स को किस जगह इरेक्ट किया जाय? इसका अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को होना चाहिये और जिसमें कि व्यवस्था की गई है कि इसमें कलेक्टर के द्वारा बाउन्ड्री मार्क्स को इरेक्ट करने की चीज निश्चित की जाय, तो उसके स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार हो। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है कि कभी पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड में झगड़ा हो सकता है और उस झगड़े के कारण परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायत दोनों एकमत न हों; तो जो कुछ बाउन्ड्री लिमिट्स नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बनाये गये हैं उनमें बाउन्ड्री मार्क्स किस जगह इरेक्ट किये जायें। लेकिन यह चीज़ भी है कि जिस वक्त लिमिट्स डिफाइन करेंगे जैसा कि इसमें लिखा है कि : "Every notification constituting a new municipality or altering the limits of an existing municipality shall clearly set forth the loca limits-"

जैसा कि हम यह कहते हैं कि जो भी लोकल लिमिट्स होंगी तो इसका स्पष्ट रूप से कि कौन सा रास्ता होगा, कौनसी गली होगी, कौनसा मकान होगा, कौनसा स्तम्भ होगा, तो जिस मकान,

[श्री भैरोंसिंह]

गली या रास्ते को म्युनिसिपेलिटी की लोकल लिमिट्स डिफाइन कर रहे हैं तब यह स्पष्ट रूप से कर देंगे कि उसके बाद में झगड़े की कोई चीज नहीं होगी। और अगर बाद में कोई झगड़ा होता है किसी पंचायत और किसी म्युनिसिपेलिटी में तो और आगे भी व्यवस्था की है कि लिमिट्स गजट में नोटिफाई करेंगे। यदि उसमें किसी को आपत्ति होगी तो सरकार के सामने अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का झगड़ा होगा तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर बनाया है जब कि झगड़े को निबटाने के लिए अलग प्रोसीजर बनाया हैं उसके बाद में आवश्यकता नहीं रहती है कि पंचायतों और म्युनिसिपेल्टीज में झगड़ा हो तो उस झगड़े को निबटाने के लिए आवश्यक है कि कलेक्टर कहे कि बाउन्ड्री मार्क्स किस जगह इरेक्ट किये जांय। तो इसके बारे में राय देने का, लिमिट्स डिफाइन करने का काम सरकार का है, क्लियरली डिफाइन करने का काम सरकार है। उसके बाद में झगड़ा होता हैं तो झगड़े को निबटाने का काम सरकार का है। लेकिन जहां झगड़ा नहीं होगा और कलेक्टर यह कहेगा कि बाउन्ड्री मार्क्स इस जगह लगाओ और नहीं लगाते हैं तो सरकार अपने खर्चे से बनायेगी और म्युनिसिपल बोर्ड को सारा खर्चा देना पड़ेगा। यह सारी कार्यवाही म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार में होना चाहिये कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक बाउन्ड्री मार्क्स इरेक्ट कर लें।

दूसरा जो मेरा संशोधन था उस पर उन्होंने यह कहा कि प्रोपर्टीज़ और फन्ड्स को ट्रान्सफर करने का आटोमेटिकली अधिकार हो जाता है जब कि लायबिलिटीज़ को ट्रान्सफर करने का अधिकार होता है। मैं मानता हूँ इस चीज को। यदि आप दोनों चीजों को स्वीकार करते हैं कि एक म्युनिसिपल बोर्ड का हिस्सा किसी दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में जाता है तो उसके जाने के साथ साथ फन्ड्स और प्रोपर्टीज़ दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में ट्रान्सफर होंगे और लाएबिलिटीज़ भी जितनी होगी वे ट्रान्सफर होंगी। यदि सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं तो किसी तरह की अड़चन पैदा होती है सरकार के सामने तो वह नहीं रहती है।

सरकार अपने हाथ में डिस्क्रीशन ले कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड के फंड, प्रोपर्टी लाइबिलिटी आदि को ट्रान्सफर करना सरकार उचित समझे तो करे, नहीं तो नहीं करे। यदि सरकार यह चाहे कि इस हिस्से की लाइबिलिटी है वह म्युनिसिपल बोर्ड में ट्रान्सफर की जाय, नहीं तो नहीं की जाय। लेकिन बात यह है कि किसी हिस्से की लाइबिलिटी को हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो वह ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। सरकार उचित समझे या न समझे, यह नहीं होना चाहिये। केवल लाइबिलिटीज़ की आड़ लेकर इसको नामंजूर करना उचित नहीं होगा।

एक अड़चन सवाई माधोपुर के सदस्य ने बताई थी, लोकल एरिया के बारे में, इसके बारे में निवेदन है कि यदि उन्होंने क्लॉज़(७) पढ़ी होती तो उनको साफ मालूम हो जाता। इसमें लिखा है: "When any local area is included in a Municipality, all rules and byelaws made

Page No.72

[श्री भैरोंसिंह]

orders, directions and notices issued and powers conferred and enforced throughout such municipality..." तो यदि कोई म्युनिसिपेलिटी नहीं है तो ऑटोमेटीकली म्युनिसिपेलिटी नहीं होने के कारण उसके रूल्स नहीं लागू होंगे बल्कि म्युनिसिपल रूल्स लागू होंगे। किसी भी हिस्से में तो जिस हिस्से के लोगों की संख्या ज्यादा है उसके ज्यादा संख्या वाले हिस्से के रूल्स लागू होंगे।...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—'Such Municipality' means the municipality mentioned in this." जो एरिया लोकल एरिया में आ रहा है उसके साथ एप्लाई होगा।

श्री भैरूंसिंह (जारी)—मेरा संशोधन यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते तो सारा संशय दूर हो जाता। जो हिस्सा किसी म्युनिसिपेलिटी में शामिल किया जायगा उसमें उस म्युनिसिपेलिटी के रूल्स लागू होंगे ऐसा प्रोविजन है, लेकिन यदि म्युनिसिपेलिटी के हिस्से के लोगों की संख्या कम होतो है और जो ग्राम पंचायत या लोकल एरिया का हिस्सा शामिल हुआ है और वह बहुमत वाला है तो वहां पर जो पंचायत के रूल्स हैं तो उसमें पंचायत के रूल्स ही लागू हो जांय, यह बात नहीं है कि म्युनिसिपल रूल्स उस हिस्से में लागू हों जो हिस्सा म्युनिसिपेलिटी में शामिल किया जा रहा है। तो उसमें यह ध्यान रखना है कि बहुमत किसका है। बहुमत वाले हिस्से का कानून उस पर लागू होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (७) को पढ़ें और मेरे संशोधन को पढ़ें। उस एरिया में म्युनिसिपल रूल्स नहीं हैं तो....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने उसे बार-बार पढ़ा है और जो मंशा आप बता रहे हैं वह नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—मुझे दुःख है कि बार-बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। शब्द ये हैं:—"When any local area is included in a Municipality, all rules, byelaws made, orders, directions and notices issued and powers conferred and forced throughout such municipality..."

(घंटी)

इसका मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है।

श्री भैरूंसिंह—(जारी) मेरा कहने का मतलब यह है कि "थ्रूआउट सच म्युनिसिपेलिटीज़" It is a function between the Municipalties. इसका मतलब यह है कि उस म्युनिसिपेलिटी के हिस्से में, यह नहीं कि between Panchayats and Municipalities, जो लोकल एरिया या

Page No.73

[श्री भैरोंसिंह]

उसका हिस्सा अब शामिल कर रहें हैं उसका सवाल नहीं है। उपधारा (६) में लिखा है: "Any local area which comprises a city or town or two or more neighbouring towns," कस्बे में म्युनिसिपेलिटी होगी और शहर में भी होगी और उनमें से जिस म्युनिसिपेलिटी का हिस्सा दूसरी म्युनिसिपेलिटी में शामिल होगा किसी कारण से तो जिस हिस्से की आबादी कम है उस हिस्से की म्युनिसिपेलिटी के रूल्स ज्यादा आबादी वाले हिस्से पर लागू नहीं किये जाने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—हो सकता है कि जयपुर म्युनिसिपेलिटी को आमेर में शामिल कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका बड़े जोर से समर्थन होगा।

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैरूसिंह से)—आप अमेन्डमेंट विद्ड्रॉ करना चाहते हैं क्या ?

श्री भैरूसिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ५ पर श्री भैरूंसिंह ने उपस्थित किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता !

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, Sir.

कुछ माननीय सदस्य—Noes have it, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात् श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ५ में श्री भैरूसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

भविष्य के कार्यक्रम सम्बन्धी एवं २३ दिसम्बर, १९५५ को सदन की कार्यवाही स्थगित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा काम शुरू हो उससे पहले और यह कि प्रायः सभी सदस्य जो सदन में होने चाहिये वे इस समय उपस्थित हैं; इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिये बहुत से सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारा आगे का प्रोग्राम क्या है? यह हमें मालूम होना चाहिये कि कब तक यह सेशन चलने वाला है। पहले भी यह सवाल उठाया गया था, लेकिन निश्चितरूप से तय नहीं हुआ। मैं फिर प्रस्ताव के रूप में मोशन रखना चाहता हूं कि सदन जल्दी तय करे कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक महीने से हमारा सदन चल रहा है। यदि यह तय करें कि इस म्युनिसिपल बिल को पास करके ही हमें उठना है तो कम से कम उसके लिए एक महीना चाहिये और मैं समझता हूं कि कम से कम २ महीने लगेंगे इस बिल को पास करने में (हंसी) आप इसको मजाक मत समझिये।...

श्री अध्यक्ष—मज़ाक को मज़ाक समझेंगे और सीरियस को सीरियस।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(जारी) इस पर काफी अमेन्डमेंट्स आये हैं। हर संशोधन पर जिस प्रकार की प्रगति हो रही है उस अनुमान से भी चलेंगे तो १५-२० दिनों की सिटिंग होंगी तो भी एक-डेढ़ महीना उसके लिए चाहिए क्योंकि हफ्ते में ५ दिन काम करते हैं। इस तरह से इसमें डेढ़ महीने के करीब लग जायगा। फिर बजट सेशन आने वाला है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मंजूर करें कि हम कल सेशन को स्थगित करके आगे के लिए जैसी सरकार को सुविधा हो वैसा करलें। रोज के कार्य को देखते हुए जब सुविधा हो तभी सेशन बुलाया जाय। तो यह तय कर लिया जाय कि कल तक काम करके जिस स्टेज पर यह है उस पर इसे छोड़ दिया जाय और आगे जब मीट करें तब लिया जाय, ताकि इसमें भी जल्दबाजी न हो। अगर जल्दबाजी होगी तो इसमें फिर संशोधन लाने पड़ेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे और आगे फिर सरकार की सुविधा के अनुसार इस बिल को फिर रखें।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ ही यह निवेदन करता हूं कि शीतकाल बहुत भयंकर हो गया है और हम लोगों की फेमिली यहां नहीं होने से निमोनियां भी हो जावेगा।...

(हंसी एवं घंटी)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—यह बहस थोड़े ही है।

श्री गोपीनाथ यादव—मैं एक पोइन्ट की बात अर्ज कर रहा हूं। म्युनिसिपैलिटी बहुत मुमकिन है, थोड़े दिनों के लिये छोड़ा जा सके पर टिनेन्सी एक्ट का अमेंडमेंट बिल है उ आगे नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि दो-चार बातें ऐसी हो गई हैं कि जिससे रेवेन्यु बोर्ड में केसे पड़े हुए हैं और रिजेक्ट किये गये हैं। धारा १५ ऐसी है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर और फौजी कमाण्डर के कहने के कारण फौजियों को अधिकार दिया गया है कि वे मौरूसी काश्तकारों को इजेक्ट कर सकते हैं और धारा १५ में हमने यह रख दिया है कि मौरूसी काश्तकार को इजेक्ट नहीं किया जा सकता।....

श्री अध्यक्ष—इनसे क्या मतलब है? It concerns more with the leader than with any other Member.

श्री गोपीलाल यादव—इन बातों को कन्सीडर करना है, फिर एडजर्न करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—इस सेशन को एडजर्न करने का सवाल आठ-दस दिन से पेश किया जा रहा है, पर मैं इस राय का समर्थक रहा हूं कि इस बिल को पास करें। इस भावना से कि ऐसा कहीं नहीं समझा जाय कि जल्दी सेशन समाप्त कर दिया गया। तसल्ली के साथ बैठ कर विचार किया जाय तो इसका न इन्कार मेरा था और न है। लेकिन अगर सदन की आम तौर पर राय हो तो अभी माननीय श्री यादव जी ने जो प्रश्न रखा, मुझे ठीक से याद नहीं, कल तो मीट करना है, ripe हो सकता है; अमेंडमेंट पर कल भी विचार किया जा सकता है।

अगर सदन की राय है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह असर नहीं डालना चाहता कि समाप्त किया जाय; मैं चाहता हूं कि सारा समाप्त हो और अगर आगे बजट सेशन पर लेने की बात का सदन फैसला करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—What is the general wish ?

(आवाज 'Tenancy may be taken')

There are 46 clauses in the Tenancy (Amendment) Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास—Most of them are consequential.

श्री अध्यक्ष—That we could have done. Consequential amendment the Speaker is authorised to do.

भविष्य के कार्यक्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री दामोदरलाल व्यास—Those issued in the third reading could not be taken up. We had to bring them together in the third reading.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They are not consequential.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—To-morrow we can meet for two times if necessary and we can meet day after to-morrow.

श्री अध्यक्ष—There is a provision in our rules of business that where a bill is passed by the House, the Speaker has a right to correct patent errors and make such other changes as may be consequential to the amendments accepted by the House. That power vests in the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास—Some of them have got to be discussed.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Many of them are substantial.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—We can meet twice tomorrow and if necessary on day after tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास—This is quite important, Sir, because difficulties are being faced.

श्री अध्यक्ष—Members are quite ready for it. We have received amendments. Or an ordinance be passed ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That will not be proper. We can meet tomorrow and day after tomorrow.

श्री अध्यक्ष— We meet this evening ?

So we adjourn now. If we want to meet this evening at 4-00, we adjourn.

कु० श्री जसवन्तसिंह—In the Tenancy Bill we are affected particularly and we want to study it. I want to suggest a little amendment to what I have said just now to accommodate the Revenue Minister and Yadavji, if there is a real serious difficulty they are facing...

तो फिर मेरे प्रोपोज़ल में इतनी चैंज हो जाय कि आज और कल म्युनिसिपैलिटी बिल ले लें, सेटरडे और मन्डे को टिनेन्सी बिल ले लें, ताकि उसको स्टडी करने का मौका मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—डिस्कशन ऑन प्रिन्सिपल्स करना हो तो आज शाम को मिलें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसको बिल्कुल स्टडी नहीं किया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैंने शुरू से कहा है कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता कि जिससे यह कहा जाय कि सेशन जल्दी समाप्त कर दिया; सेटर्डे को मीट कीजिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सेटर्डे और मन्डे रखें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of privilege, Sir, most of the members are of legal profession and they have got their cases fixed on Saturday presuming that it is always a holday. So all our professional and personal engagements would be upset if we meet on Saturday. It should be on Monday.

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले राजस्व मंत्री महोदय इस पोइन्ट को एग्जामिन करवा लें कि कोन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट होने के कारण उनकी कितनी ही समस्याओं का हल हो जायगा। उन्होंने एग्जामिन करवाया नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिवाय दो के कोन्सिक्वेन्शियल हैं। जो कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट हैं उनको एग्जामिन करवा लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—All right. Then we will take the Tenancy Amendment Bil tomorrow and we adjourn today. We will adjourn sine die after finishing the Tenancy Amendment Bill. If we finish it tomorrow, tomorrow, we will adjourn; otherwise day after tomorrow.

We are not meeting today at 4.00 P.M.

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह में ११.५५ बजे अगले दिन, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५५ के प्रात: ८.४५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन, मनसाराम पुरोहित

जयपुर, सचिव,

दिनांक-२२ दिसम्बर, १९५५ राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

२६८. (१६ ए. टी. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नं० ७२—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेजा बांध जिला भीलवाड़ा से सिंचाई के लिये कितनी नहरें निकाली गई हैं ?

(ख) उक्त नहरों में प्रत्येक से कितनी कितनी भूमि की सिंचाई की जायेगी ?

(ग) उक्त नहरों को किस आधार पर बनाया गया है ?

उत्तर

(क) दो नहरें बनाई जा रही हैं। एक नदी के दाईं तरफ और एक बाईं तरफ।

(ख) दाईं तरफ वाली नहर से लगभग १६,००० और बाईं से लगभग १२,००० एकड़ रकबा की पीवल होने की आशा है।

(ग) इन नहरों को सिंचाई के लिये नियमों के अनुसार बनाया जा रहा है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिये)

सूची "ए"

सूची सब इन्सपेक्टर्स जिनको ऑफिशियेटिंग प्रमोशन्स दिये गये

क्रम सं०	नाम	रैन्जवाइज़ एकीकरण नं०
१.	श्री जीवराज	६ जयपुर
२.	श्री मानकलाल	१ उदयपुर
३.	श्री लक्ष्मी नारायण	३१ बीकानेर

१	२	३
४.	श्री जयचन्द	१८ बीकानेर
५.	श्री अब्दुल रज़ाक	१६ बीकानेर
६.	श्री नत्थूराम	२४ बीकानेर
७.	श्री अब्दुल हमीद खां	८३ जयपुर
८.	श्री प्रतापसिंह	२६ बीकानेर
६.	श्री इन्दरसिंह	१२२ जयपुर
१०.	श्री मुकन्दलाल	रिटायर्ड
११.	श्री डालचन्द	१७ जयपुर
१२.	श्री एम० के० वादवानी	१५ जयपुर
१३.	श्री गुरुचरणलाल	२ सेंट्रल सी० आई० डी०
१४.	श्री जगमोहनस्वरूप	१३ जोधपुर
१५.	श्री गजसिंह	५ जोधपुर
१६.	श्री गिरिजाप्रसाद	५० जयपुर
१७.	श्री जगन्नाथ	७ कोटा
१८.	श्री किशनलाल सैनी	१० जयपुर
१६.	श्री सरदारा राम	४५ बीकानेर
२०.	श्री रामेश्वर नाथ	८ सेंट्रल सी० आई० डी०
२१.	श्री घासीलाल	२ उदयपुर
२२.	श्री गुरुचरणसिंह	१२ कोटा
२३.	श्री तेजराजसिंह	१८ जोधपुर
२४.	श्री जी० एल० खन्डेलवाल	हाल ही में जी० आर० पी० अजमेर से एब्जोर्ब किया गया। इसका एकीकरण विचाराधीन है।
२५.	श्री बुद्ध प्रकाश	२५ जोधपुर
२६.	श्री बालेश्वर प्रसाद	४२ जयपुर
२७.	श्री केसरसिंह	१० कोटा
२८.	श्री हरदयाल शर्मा	६ बीकानेर
२६.	श्री श्याम बहादुर	३८ जयपुर
३०.	श्री डी० सी० मलिक	
३१.	श्री अलीशेर खां	तरक्की के हुक्म कैन्सिल्ड।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३१४ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of Place.	V. A. S.	Compounders	Stockmen.
1.	2	3	4	5
	Jodhpur District.			
1	Jodhpur	2	2	1
2	Bilara	1	1	1
3	Phalodi D.		1	1
4	Shergarh D.		1	1
	Total Strength.	3	5	4
	Jalore District.			
1	Jalore	1	1	1
2	Sanchore D.		1	1
3	Bhinmal		1	1
	Total Strength	1	3	3
	Barmer District			
1	Barmer	1	1	1
2	Jaisalmer	1	1	1
3	Balotra D.		1	1
4	Shiv D.		1	1
5	Siwana		1	1
	Total Strength	2	5	5
	Nagaur District			
1	Nagaur	1	1	1
2	Merta	1	1	1

1	2	3	4	5
3	Deedwana D.		1	1
4	Kakrana	1	1	1
5	Nawan D.		1	1
	Total Strength	3	5	5
	Pali District			
1	Pali	1	1	1
2	Sirohi	1	1	1
3	Sojat	1	1	1
4	Bali	1	1	1
5	Desuri D.		1	1
6	Jaitaran D.		1	1
7	Sumerpur D.		1	1
	Total Strength	4	7	7
	Bikaner District			
1	Bikaner	2	2	1
2	Churu	1	1	1
3	Ratangarh	1	1	1
	Total Strength	4	4	3
	Ganganagar District			
1	Ganganagar	1	–	–
2	Bhadra	1	1	1
	Total Strength	2	1	1
	Banswara District			
1	Banswara	1	1	1
2	Dungarpur	1	–	1
3	Kushalgarh	–	1	1
	Total Strength	2	2	3

	2	3	4	5
	Udaipur District			
1	Udaipur	2	1	1
2	Rajasamand	1	1	1
3	Salimbe D.		1	1
4	Kherwara D.		1	1
5	Kanore D.		1	1
6	Bhim D.		1	1
7	Chittore	1	1	1
8	Partapgarh	1	1	1
9	Nimbahera		1	1
10	Kapasin D.		1	1
11	Chhoti Sadri D.		1	1
	Total strength	5	12	11
	Bhilwara District			
1	Bhilwara	1	1	1
2	Shahpura	1	1	1
3	Asind D.		1	1
4	Gulabpura D.		1	1
5	Jhazpur D.		1	1
6	Sahare (Gangapur)		1	1
	Total strength	2	6	6
	Kotah District			
1	Kotah	2	1	1
2	Baran	1	1	1
3	Sironj			1
4	Famganj Mandi D.		1	1
5	Kishagarh D.		1	1
6	Semlia D.		1	1

1	2	3	4	5
7	Nandana D.		1	1
8	Chhipabarod		1	1
9	Si swali D.		1	1
10	Sangod D.		1	1
	Total strength	3	9	10
	Jhalawar District			
1	Jhalawar	1	1	1
2	Khanpur	1	1	1
3	Slera D.	1	1	1
4	Bhanwani Mandi D	1	1	1
	Total strength	2	4	4
	Bundi DIstrict			
1	Bundi	1	1	1
2	Nenwa	1	1	1
3	Telera D		1	1
	Total strength	2	3	3
	Tonk District			
1	Tonk	1	1	1
2	Malpura	1	1	1
3	Todarisingh			1
	Total strength	2	2	3
	Jaipur District			
1	Jaipur	2	2	1
2	Jhunjhunu	1	1	1
3	Dausa	1	1	1

1	2	3	4	5
4	Chaksu D			1
5	Jamwa Ramgarh D			1
6	Bairath D			1
7	Bandikui D			1
8	Sikrai D			1
9	Phagi D			1
10	Bassi D			1
11	Chandsen D			1
	Total strength	4	4	11

Kishangarh District

1	Kishangarh	1	1	1
2	Neem ka thana	1		1
3	Roopnagar D		1	1
4	Sarwar D		1	1
5	Naraina D			1
6	Arain D			1
7	Phulera D			1
8	Thoi D			1
9	Reengus			1
	Total strength	2	3	9

Sawai Madhopur District

1	Sawai Madhopur	1	1	1
2	Karauli	1	1	1
3	Hindaun	1	1	1
4	Gangapur		1	1
5	Khapur D		1	1
6	Malarana D			1
7	Bamawas D			1
8	Nadoti			1
9	Mahuwa D			1

1	2	3	4	5
10	Toda Bhim *D*			1
11	Nawai D			1
12	Lalsot D			1
13	Bonli D			1
14	Surwal D			1
	Total strength	3	5	14

Alwar District

1	2	3	4	5
1	Alwar	2	2	1
2	Rajgarh	1	1	1
3	Tijara	1	1	1
4	Bahror	1	1	1
5	Bansur D		1	1
6	Laxmangarh D		1	1
7	Thana Gazi D		1	1
8	Malakhera D		1	1
9	Ramgarh D		1	1
10	Govindgarh D		1	1
11	Khatumar D		1	1
12	Kandan D			1
13	Kishangarh Bas D		1	1
14	Karsouli D		1	1
15	Kotkasim D			1
	Total strength	5	14	15

Bharatpur District

1	2	3	4	5
1	Bharatpur	2	1	1
2	Dholpur	1	1	1
3	Deeg	1	1	1
4	Bayana	1	1	1
5	Nagar D			1
6	Nadbai D			1
7	Bari D			1

1	2	3	4	5
8	Kumbher D			1
9	Pahari D			1
10	Uchain D			1
	Total strength	5	4	10

Mobile Vety. Dispensary, Kotah.

1	Livestook Inspector	2
2	Syces	2

Pathological Laboratory, Bikaner.

1	Pathologist	1
2	Laboratory Asstt.	1
3	Laboratory Attendants	2

B P Vety. Laboratory, Bikaner

1	Serologist	1
2	Laboratory Asstt.	1
3	Laboratory Attendants	2
4	Sweepers	2